

मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीतिगत कार्ययोजना संबंधी विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - चल लक्ष्य

सारणी 1 : राजकोषीय संकेतक

	संशोधित	बजट	अनुमान	
	अनुमान 2019-20	अनुमान 2020-21	2021-2022	2022-2023
1. राजकोषीय घाटा	3.8	3.7	3.3	3.1
2. राजस्व घाटा	2.4	2.7	2.3	1.9
3. प्राथमिक घाटा	0.7	0.4	0.2	0.0
4. सकल कर राजस्व	10.6	10.8	10.7	10.7
5. कर-भिन्न राजस्व	1.7	1.7	1.5	1.5
6. केन्द्रीय सरकार का ऋण	50.3	50.1	48.0	45.5
7. जिसमें से ईबीआर ¹ के कारण देयताएं	0.7	0.8	0.9	0.9

1. वर्ष 2019-20 सामान्य वृद्धि दरों का साक्षी रहा है जैसा कि वृहत आर्थिक संरचना संबंधी विवरण में उल्लेख किया गया है। सरकार ने प्रतिचक्र्रीय नीतियों को कार्यान्वित करने के कार्य का सामना किया जबकि राजकोषीय तंग पथ पर चलने का ध्यान व्यय की गुणवत्ता बनाए रखने पर केन्द्रित रहा है। व्यय संघटन का ब्यौरा विवरण के पश्चवर्ती खंड में दिया गया है।

2. सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों ही के संबंध में संरचनात्मक सुधार प्रारम्भ किए हैं। किए गए कुछ उपायों का उल्लेख संरचना संबंधी विवरण में किया गया है। इनके वित्तीय निहितार्थ होते हैं और ये आर्थिक निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। प्रारम्भ किए गए इन उपायों का प्रभाव अगले वित्त वर्ष में शनैः-शनैः पड़ने की संभावना है। संक्षेप में, आर्थिक बहाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों का प्रभाव भी अगले वित्त वर्ष में पड़ने की संभावना है। बदले हुए परिदृश्य में, सरकार ने निकट अवधि में अपनी राजकोषीय संरचना को संशोधित किया है।

3. यह अनुमान है कि निवेशों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रति-चक्र्रीय राजकोषीय उपायों के लिए पर्याप्त गुंजाइश का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2019-20 और 2020-21 में राजकोषीय घाटे में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत का अंतर होगा। वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य को संशोधित करके जीडीपी का 3.8 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य संशोधित करके जीडीपी का 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है। एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्य सरकार के राजकोषीय प्रचालनों के मार्गदर्शक हैं और राजकोषीय घाटा

लक्ष्य मध्यावधि में हासिल किए जाने की संभावना है। वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय घाटा घटकर 3.1 प्रतिशत रहने की आशा है।

4. इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करते हुए कि निजी निवेश के लिए पर्याप्त अधिशेष उपलब्ध हों, निगम कर को घटाकर लगभग ₹1 लाख करोड़ (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राजकोषीय लक्ष्य को क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर रखते समय राजस्व व्यय को पूरा करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर ब.अ. 2020-21 में उचित संतुलन रखा गया है।

राजस्व प्राप्तिओं के बारे में मध्यावधिक संभावनाएं

5. पिछले वर्षों के मुकाबले सकल कर राजस्व वर्ष 2021-22 में 12.3 प्रतिशत और 2022-23 में 12.6 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में निगम कर में कटौती के कारण प्रत्यक्ष करों में वृद्धि मंद रही है। जबकि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि क्रमशः 13.6 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत होने की आशा है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि दर 10.7 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत मामूली रूप से संयत होने की आशा है।

सं.अ. 2019-20 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

6. जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बजट व्यवस्था स्तर की तुलना में सं.अ. 2019-20 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.8 प्रतिशत है। मुख्य रूप से जीएसटी के अनुमान से कम संग्रहण और निगम कर

1. व्यय की रूपरेखा 2020-21 के विवरण 27 का भाग-क.

दरों में कमी के कारण सकल कर राजस्व अनुमानों में कमी रही है। अप्रत्यक्ष करों से अनुमानित प्राप्तियों को 2018-19 अनंतिम वास्तविक के मुकाबले 5.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए संशोधित कर दिया गया है, जबकि प्रत्यक्ष कर के लिए सं.अ. 2019-20 पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कारपोरेट कर, जिसमें ब.अ. स्तर की तुलना में ₹1,55,500 करोड़ की कमी आई है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां ब.अ. स्तर की तुलना में ₹32,334 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है।

7. मुख्य रूप से निम्नतर विनिवेश प्राप्तियों के कारण, ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां ब.अ. 2019-20 की तुलना में ₹38,224 करोड़ तक घटने का अनुमान है। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान ₹81,604 करोड़ रखा गया है। राजकोषीय घाटे का संपूर्ण मूल्य सं.अ. में संशोधित करके ₹7,66,848 करोड़ कर दिया गया है जो ब.अ. 2019-20 की तुलना में ₹63,087 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

8. सं.अ. 2019-20 में, कुल व्यय ₹26,98,552 करोड़ का अनुमान लगाया गया है जो ब.अ. 2019-20 से ₹87,797 करोड़ की कमी दर्शाता है। सं.अ. 2019-20 में राजस्व व्यय 23,49,645 करोड़ है, जबकि सं.अ. में ₹3,48,907 करोड़ पर अनुमानित पूंजीगत परिव्यय ब.अ. 2019-20 के मुकाबले ₹10,338 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

ब.अ. 2020-21 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

9. वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत होने की आशा है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इसका कारण सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक सुधार उपाय हैं। ब.अ. 2020-21 में जीटीआर हेतु ₹24,23,020 करोड़ की बजटीय व्यवस्था है जो सं.अ. 2019-20 की तुलना में ₹2,59,597 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में ब.अ. 2020-21 में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रत्यक्ष कर ₹13,19,000 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। ब.अ. 2020-21 में अप्रत्यक्ष करों की ₹10,99,520 करोड़ की बजटीय व्यवस्था सं.अ. 2019-20 की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2020-21 में कर-भिन्न राजस्व संग्रहणों की बजटीय व्यवस्था ₹3,85,017 करोड़ है जो सं.अ. 2019-20 की तुलना में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

10. ब.अ. 2020-21 में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के लिए ₹2,24,967 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है जो सं.अ. 2019-20 के मुकाबले ₹1,43,363 करोड़ की वृद्धि दर्शाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से विनिवेश प्राप्तियों में ₹90,000 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020-21 में कुल निवल उधार ₹7,96,337 करोड़ संभावित है जबकि सं.अ. 2019-20 में यह राशि ₹7,66,848 करोड़ थी।

11. वर्ष 2020-21 में कुल व्यय ₹30,42,230 करोड़ पर नियत किया गया है जो सं.अ. 2019-20 के मुकाबले ₹3,43,678 करोड़

(12.7 प्रतिशत) की बढोत्तरी है। ब.अ. 2020-21 में राजस्व व्यय ₹26,30,145 करोड़ होने का अनुमान है जो वर्षानुवर्ष 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पूंजीगत व्यय ₹4,12,085 करोड़ तक बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 1.8 प्रतिशत होने की आशा है।

राजकोषीय संकेतकों में अंतर्निहित अनुमान

राजस्व प्राप्तियां

कर-राजस्व

12. सं.अ. 2019-20 में सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹21,63,423 करोड़ नियत किया गया है जो ब.अ. 2019-20 से ₹2,97,772 करोड़ की कमी दर्शाता है। इस कमी के कारण निगम कर में कटौतियां हैं। ब.अ. 2020-21 के लिए, सकल कर राजस्व ₹24,23,020 करोड़ होने की आशा है जो जीडीपी का 10.8 प्रतिशत बैठता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2019-20 और 2020-21 में वर्षानुवर्ष क्रमशः 4 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। मध्यावधि में, सकल कर राजस्व पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 12.6 प्रतिशत तक पहुंचने से पूर्व वर्ष 2021-22 में बढ़कर क्रमशः 12.3 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की आशा है।

13. ब.अ. 2020-21 में प्रत्यक्ष कर को भी संशोधित करके ₹13,19,000 करोड़ कर दिया गया है जबकि अप्रत्यक्ष कर हेतु ₹10,99,520 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है जो, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत बैठती है। वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण जीडीपी का 6 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्वों के अनुमानों की गणना निम्नलिखित संभावनाओं के साथ की गई है।

- करराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, कारपोरेट कर दरों में कटौती, कतिपय परिस्थितियों में बढ़े हुए अधिभार वापिस लिए जाने और न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दरों में कटौती सहित अनेक राहत उपायों की व्यवस्था की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹1.45 लाख करोड़ प्रतिवर्ष की अनुमानित राजस्व हानि हुई। इन राहत उपायों के प्रभाव को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सं.अ. में ध्यान में रखा गया है।
- आयकर अधिनियम, 1961 में कर दर या स्लैबों अथवा किसी भी कर उपबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

14. वर्ष 2021-22 और 2022-23 में राज्यों को कर अंतरण 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, जो उनकी अंतिम रिपोर्ट में प्रकाशित की

जाएगी, द्वारा शासित किया जाएगा। संभावित अवधि में कर राजस्व के केन्द्रीय हिस्से की गणना करने के लिए 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अंतरण फार्मूले का उपयोग किया जाएगा।

15. अप्रत्यक्ष कर वर्ष 2020-21 में 11.1 प्रतिशत, वर्ष 2021-22 में 10.7 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 में 11.1 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की आशा है। इनसे संभावित वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष कर नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए, केन्द्रीय जीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उप-कर में संबंधित वर्षों की मामूली जीडीपी वृद्धि दरों के संदर्भ में 1.0 प्रतिशत की उछाल आने की आशा है।

16. सीमा शुल्क के संबंध में प्रत्येक संभावित वर्ष के लिए कर में 0.9 प्रतिशत की दर पर उछाल आने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में, एमएस/एचएसडी संबंधी विशिष्ट दर संरचना के कारण, वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए सीएस (पीओएल) राजस्व संभावनाओं हेतु 6 प्रतिशत की वृद्धि दर लागू की गई है। यह पिछले पांच वर्षों में औसतन घरेलू पीओएल उपभोग वृद्धि के समतुल्य है।

कर-भिन्न राजस्व- नीतिगत उदाहरण

17. कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) प्राप्तियां, सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्ष 2018-19 में, वे कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 15.2 प्रतिशत थीं। कर-भिन्न राजस्व में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश, मुख्य रूप से राज्यों से ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्त प्राप्तियां, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभार और लगाए गए शुल्क शामिल हैं।

18. सं.अ. 2019-20 में, कर भिन्न राजस्व के तहत प्राप्तियां बढ़कर ₹3,45,513 करोड़ होने की आशा है जो जीडीपी का 1.7 प्रतिशत बैठती हैं। वर्ष 2020-21 में, यह ₹3,85,017 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 दोनों में कर भिन्न राजस्व लगभग 1.5 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत होने की आशा है।

राज्यों को अंतरण- वित्त आयोग

19. संविधान के अनुच्छेद 280 के दृष्टिगत 15वें वित्त आयोग (XV-FC) का 27 नवम्बर, 2017 को गठन किया गया था। वर्ष 2019 में, आयोग को दो रिपोर्टें प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया था। प्रथम रिपोर्ट, जो राष्ट्रपति को 5 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत की गई थी, में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशों का प्रावधान है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर, 2020 में प्रस्तुत करेगा जिसमें 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सिफारिश होगी।

20. वित्त आयोग, संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच कर की निवल आय के वितरण के संबंध में सिफारिश करता है। इन निवल आयों जिनसे करों का विभाज्य पूल बनता है, का वितरण केन्द्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर अंतरण कहलाता है। आयोग ने राज्यों के लिए केन्द्रीय करों की निवल आयों (विभाज्य पूल) के 41 प्रतिशत समग्र हिस्से की सिफारिश की है जबकि 14वें वित्त आयोग ने 42 प्रतिशत की सिफारिश की थी। राज्यों को 1 प्रतिशत अंतरण की कमी का आशय केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सुरक्षा और अन्य विशेष आवश्यकताओं हेतु व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाना है। आयोग द्वारा कर वितरण के स्तर को यह ध्यान देते हुए बनाए रखा गया है कि कर अंतरण अन्य प्रकार के अंतरणों, जो विवेकाधीन होते हैं और जिन्हें अनुभवजन्य रूप से कम प्रगतिशील पाया गया है, की तुलना में संसाधनों के अंतरण का अधिक उद्देश्यपरक रूप है।

21. सं.अ. 2019-20 में राज्यों को अंतरण 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जबकि ब.अ. 2019-20 के लिए राज्यों को अंतरण 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के आधार पर है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, सिफारिशें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। प्रथम रिपोर्ट में कर अंतरण के प्रतिशत से संबंधित सिफारिशों का उपयोग संभावित वर्षों में कर अंतरण की गणना करने के लिए किया गया है।

पूंजी प्राप्तियां

ऋणों की वसूली

22. ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के दो मुख्य घटक होते हैं- ऋणों की वसूली और अग्रिम तथा विनिवेश प्राप्तियां। सं.अ. 2019-20 में ऋणों की वसूली का लक्ष्य ₹16,604 करोड़ रखा गया है तथा वर्ष 2020-21 में ₹14,967 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। मध्यावधि में, 2021-22 और 2022-23 दोनों में यह ₹15,000 करोड़ रहने का अनुमान है।

अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

23. विनिवेश प्राप्तियां सरकार के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विक्रय से सरकार को प्राप्त होती हैं। इनमें सामरिक आस्तियों का विक्रय भी शामिल है। सं.अ. 2019-20 में विनिवेश प्राप्तियों को संशोधित करके ₹65,000 करोड़ कर दिया गया है। ब.अ. 2020-21 के लिए, विनिवेश प्राप्तियों हेतु ₹2,10,000 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की बिक्री से प्राप्त ₹90,000 करोड़ की राशि शामिल है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में, विनिवेश प्राप्तियां बढ़ने की आशा है।

उधार - सरकारी ऋण और अन्य देयताएं

24. वर्ष 2019-20 में, भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों जिनमें खरीद वापसी/अंतरण शामिल नहीं है, के जरिए लिए गए सकल और निवल बाजार उधार हेतु क्रमशः ₹7,10,000 करोड़ और ₹4,73,972 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए वास्तविक सकल और निवल बाजार उधार क्रमशः ₹5,71,000 करोड़ और ₹4,22,735 करोड़ बैठते थे। वर्ष 2019-20 में सकल राजकोषीय घाटे के (ब.अ.) 60.12 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निवल बाजार उधारों हेतु बजटीय व्यवस्था की गई थी। राजकोषीय हुंडियों, एनएसएसएफ, राज्य की भविष्य निधियों, निवल विदेशी सहायता तथा नकद आहरण से निवल उधार जैसे अन्य स्रोतों की जीएफडी के शेष 39.88 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए बजटीय व्यवस्था की गई थी।

25. प्रथम छमाही (एच1) के लिए बाजार उधार वित्त वर्ष 2019-20 के सकल बाजार उधार का लगभग 62.25 प्रतिशत (₹4,42,000 करोड़ पर) रखे गए थे। दूसरी छमाही में, बाजार उधार ₹2,68,000 करोड़ रखे गए थे जो बजटीय व्यवस्था के सकल बाजार उधार के 37.75 प्रतिशत बैठते हैं। वर्ष 2019-20 (27 दिसम्बर, 2019 तक) में सकल और निवल बाजार उधार समग्र रूप में क्रमशः ₹6,34,000 करोड़ (वर्ष 2019-20 के लिए ₹7,10,000 करोड़ के बजटीय व्यवस्था वाले सकल उधारों का 89.3 प्रतिशत) और ₹5,32,972 करोड़ (वर्ष 2019-20 के लिए ₹4,23,122.01 करोड़ की बजटीय व्यवस्था वाले निवल उधारों का 125.96 प्रतिशत) बैठते हैं।

26. वर्ष 2019-20 के दौरान, सावरेन स्वर्ण बांड (एसजीबी) स्कीम की 10 श्रृंखलाओं में से 7 पूरी हो चुकी हैं (27 दिसम्बर, 2019 तक), जिनमें ₹1,618.84 करोड़ रुपये की कुल धनराशि का 4445.7 किग्रा. सोने का अभिदान प्राप्त हुआ। अब तक इस वर्ष के दौरान निवल राजकोषीय हुंडियों की बजट अनुमानों से अधिक वसूली हो चुकी है, जिनमें राजकोषीय-हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी मार्ग के जरिए राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक निवेश हुआ। बजट अनुमान की तुलना में वर्ष के दौरान एनएसएसएफ की अपेक्षाकृत अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ।

27. राजकोषीय वर्ष 2019-20 (27 दिसम्बर, 2019 तक) में रुपया दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष में 14.73 वर्षों की तुलना में 16.07 वर्ष थी। प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत आय पिछले वर्ष में 7.77 प्रतिशत से कम होकर राजकोषीय वर्ष 2019-20 के दौरान 6.86 प्रतिशत हो गई, जो कम आय वाली स्थिति को दर्शाता है।

28. केन्द्र सरकार की समग्र देनदारियों में से, मार्च 2019 के अंत तक लगभग 94.1 प्रतिशत देनदारियां घरेलू हैं और 5.9 प्रतिशत विदेशी

हैं। दिनांकित प्रतिभूतियां मुख्यतया घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास होती हैं। वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़े निवेशक हैं और सितम्बर, 2019 के अंत तक उनके पास फिलहाल लगभग 39.66 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियां हैं, जबकि सितम्बर, 2018 के अंत तक 41.41 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियां और दिसम्बर, 2018 के अंत तक 40.51 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियां थीं। सरकारी प्रतिभूतियों में एक अन्य बड़ा निवेशक वर्ग बीमा कंपनियां हैं, जो अपनी दीर्घावधिक देनदारियों की वजह से आमतौर पर दीर्घ अवधि वाली प्रतिभूतियों को वरीयता देती हैं। सितम्बर, 2019 के अंत तक, केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियों की शेरधारिता पिछले वित्त वर्ष के अंत में 24.57 प्रतिशत से आंशिक बढ़ोत्तरी के साथ 24.86 प्रतिशत हो गई है। दिनांकित प्रतिभूतियों की मांग का एक अन्य स्थिर स्रोत भविष्य निधियां हैं, जिनकी हिस्सेदारी सितम्बर, 2019 के अंत तक 4.87 प्रतिशत है।

29. बैंकिंग सेक्टर तथा इससे अधिक बीमा सेक्टर से लगातार जारी अधिक मांग और इसके साथ प्राथमिक डीलरों के मजबूत तंत्र का अर्थ यह है कि निजी क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर बिना कोई दबाव डाले 2019-20 के लिए सरकार का उधार कार्यक्रम सरलता से पूरा हो जाएगा।

30. केन्द्रीय सरकार के ऋण जिनका आकलन 2019-20 में जीडीपी का 48 प्रतिशत लगाया गया था, को सं.अ. 2019-20 में ऊर्ध्वगामी संशोधित करके जीडीपी के 50.3 प्रतिशत पर आकलित किया गया है। इसका कारण मुख्य रूप से राजकोषीय घाटे को सं.अ. 2019-20 में जीडीपी के 3.8 प्रतिशत पर अनुमत करना है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, आशा है कि केन्द्र सरकार का ऋण 2020-21 में आंशिक रूप से कम होकर 50.1 प्रतिशत और अनुमानित वर्षों में अधिक गति के साथ कम होकर 2021-22 में 45.5 प्रतिशत हो जाएगा। मध्यावधि में आशा है कि उधार कम होंगे और राजस्व संग्रहण बढ़ेगा। सरकार घाटा कम होने से निजी निवेश और पूंजी अंतर्वाह पहले से अधिक होगा। मुद्रास्फीति के कम रहने से भी भारत सरकार के नए उधारों की लागत में कटौती लाते हुए सरकार को मध्यावधि में लाभ होगा, जिसके फलस्वरूप ब्याज भुगतानों में कमी आएगी।

31. सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में प्रगामी कटौती से ब्याज भार कम होगा और अतिरिक्त उधारों को लिए बगैर सरकार के पास सामाजिक तौर पर उत्पादक अन्य सेक्टरों पर खर्च करने की अधिक गुंजाइश होगी।

कुल व्यय

32. सं.अ. 2019-20 में ₹26,98,552 करोड़ के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है जो ब.अ. 2019-20 की तुलना में ₹87,797 करोड़ की कटौती को दर्शाता है। ब.अ. 2020-21 में ₹30,42,230 करोड़ के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है, जो सं.अ. 2019-20

की तुलना में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करता है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 2021-22 और 2022-23 में आशा है कि कुल व्यय की वृद्धि क्रमशः 7 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत रहेगी। आशा है कि राजस्व व्यय पहले जिस गति से अनुमानित वर्षों में बढ़ा, उससे धीमी गति से बढ़ेगा और यह 2022-23 में जीडीपी के 10.7 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय 2022-23 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत पर रहना प्रत्याशित है।

राजस्व लेखा

33. सं.अ. 2019-20 में राजस्व व्यय ₹23,49,645 होना अनुमानित है जो ब.अ. की तुलना में ₹98,136 करोड़ कम है। सं.अ. 2019-20 में इस कटौती का मुख्य कारण खाद्य सस्सिडियां पर व्यय में कमी आना है। ब्यौरा व्यय की रूपरेखा के विवरण 27 भाग-ख में दिया गया है। ब.अ. 2020-21 के लिए राजस्व व्यय ₹26,30,145 करोड़ पर आकलित है जो सं.अ. 2019-20 की तुलना में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सं.अ. 2019-20 में उम्मीद है कि राजस्व व्यय कुल व्यय का 87.1 प्रतिशत रहेगा तथा 2020-21 में कम होकर 86.5 प्रतिशत हो जाएगा। मध्यावधि में, प्रत्याशित है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2021-22 में और अधिक कम होकर 85.9 प्रतिशत और फिर 2022-23 में 85.2 प्रतिशत हो जाएगा।

34. सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज अदायगियां, सस्सिडियां, वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों पर व्यय तथा वित्त आयोग अनुदानों, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और अन्य अंतरणों के रूप में राज्य/संघ क्षेत्रों को किए गए राजस्व अंतरण शामिल हैं। अन्य अंतरणों की श्रेणी में जीएसटी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति करने हेतु राज्य सरकारों को अंतरण शामिल है। केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान भी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का महत्वपूर्ण भाग है और इन अनुदानों की प्रकृति भी राजस्व व्यय की है। इन पर निम्नलिखित पैराओं में संक्षेप में चर्चा की गई है।

ब्याज भुगतान

35. केन्द्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक ब्याज भुगतान होते हैं। ब.अ. 2019-20 में ₹6,60,471 करोड़ के ब्याज भुगतान व्यय का आकलन किया गया था जो राजस्व प्राप्तियों का 33.7 प्रतिशत था। उम्मीद है कि सं.अ. 2019-20 में ब्याज भुगतान व्यय अपेक्षाकृत कम अर्थात् ₹6,25,105 करोड़ रहेगा जिससे आशा है कि वह राजस्व प्राप्तियों का 33.8 प्रतिशत होंगी। वर्ष 2020-21 में संभावना है कि ब्याज भुगतानों पर ₹7,08,203 करोड़ का व्यय होगा जो राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत है। उम्मीद है कि राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान मध्यावधि में कम होंगे क्योंकि राजस्व प्राप्तियां पहले से अधिक बढ़ रही हैं। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उम्मीद है कि कुल ब्याज भुगतान 2021-22 और 2022-23 दोनों में 35.6 प्रतिशत होगा।

प्रमुख सस्सिडियां

36. प्रमुख सस्सिडियां- खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम राजस्व व्यय का प्रमुख घटक बनाती हैं। उम्मीद है कि इन मदों पर व्यय ₹3,01,694 करोड़ के आकलित स्तर से घटकर सं.अ. 2019-20 में ₹2,27,255 करोड़ रह जाएगा, जो ₹74,439 करोड़ की कटौती को दर्शाता है। ब.अ. 2020-21 में सस्सिडियों के कारण व्यय ₹2,27,294 करोड़ अनुमानित है। एफसीआई की खाद्य सस्सिडी संबंधी आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु एनएसएसएफ का उपयोग किया जाना उपर्युक्त कटौती होने का मुख्य कारण है। यह सं.अ. 2019-20 से 0.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमान है कि सस्सिडियां सं.अ. 2019-20 में 1.1 प्रतिशत और 2019-20 में आकलित 12.4 प्रतिशत की तुलना में ब.अ. 2020-21 में कम होकर जीडीपी का 1 प्रतिशत रह जाएंगी। सस्सिडियों पर व्यय 2022-23 में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

रक्षा सेवाएं

37. रक्षा सेवाएं राजस्व व्यय में मुख्यतः वेतन, भण्डार सहित अन्य स्थापना संबंधी मदों, अनुरक्षण व्यय संबंधी निर्माण कार्य, परिवहन और अन्य विविध व्यय शामिल होते हैं। सं.अ. 2019-20 में रक्षा सेवा राजस्व व्यय ₹2,01,902 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में ₹2,05,902 करोड़ होने का अनुमान है, जो ब.अ. के मुकाबले सं.अ. में 2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ब.अ. 2020-21 में, इस शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ₹2,09,319 करोड़ पर आकलित है जो सं.अ. 2019-20 की तुलना में 1.7 प्रतिशत अधिक है। उम्मीद की जाती है कि इस घटक पर व्यय मध्यावधि में प्रत्येक वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

वित्त आयोग अनुदान

38. वित्त आयोग अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सांविधिक उपबंधों के तहत राज्य सरकारों को प्रदान किए जाते हैं। सं.अ. 2019-20 के लिए वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत राज्यों को अंतरण राजस्व घाटा अनुदानों, राज्य आपदा मोचन निधियों के लिए सहायता अनुदान तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। ब.अ. 2020-21 में वित्त आयोग अनुदानों का अनुमान पंद्रहवें वित्त आयोग की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लागू है। 2021-22 तथा 2022-23 के लिए कोई अनुमान नहीं लगाए गए हैं क्योंकि उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए की गई सिफारिशों से युक्त पंद्रहवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष अक्तूबर, 2020 तक ही पेश हो पाएगी।

39. सं.अ. 2019-20 और 2020-21 में वित्त आयोग अनुदान क्रमशः ₹1,23,710 करोड़ तथा ₹1,49,925 करोड़ अनुमानित हैं। यह

सं.अ. 2019-20 की तुलना में ब.अ. 2020-21 में वित्त आयोग अनुदानों की 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पेंशन

40. पेंशन के अंतर्गत राजस्व व्यय के तीन मुख्य घटक हैं अर्थात् कुछ अपवादों को छोड़कर संघ सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पेंशन व्यय को पूरा करने वाली सिविल पेंशन, रक्षा पेंशन और दूरसंचार विभाग के अंतर्गत पेंशन। सं.अ. 2019-20 में ₹1,84,147 करोड़ का पेंशन व्यय होने का अनुमान है जो ब.अ. 2019-20 की तुलना में ₹9,848 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। 2018-19 में बकाया पेंशन राशि का भुगतान किया जाना इसकी मुख्य वजह है। ब.अ. 2020-21 में, पेंशन व्यय ₹2,10,682 करोड़ आकलित था जो सं.अ. 2019-20 की तुलना में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मध्यावधि में पेंशन पर होने वाली भुगतान राशि में आशा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 7 प्रतिशत की सामान्य गति से बढ़तेरी होगी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, आशा की जाती है कि पेंशन भुगतान सं.अ. 2019-20 में 0.9 प्रतिशत के स्तर से कम होकर जीडीपी के 0.8 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएंगे।

पूंजी परिव्यय

41. सरकार का पूंजी व्यय सं.अ. 2019-20 के स्तर पर ₹3,48,907 करोड़ रखा गया जबकि ब.अ. 2019-20 में यह ₹3,38,569 करोड़ पर रखा गया था। यह ब.अ. 2019-20 की तुलना में 10,388 करोड़ (3.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। ब.अ. 2020-21 में, पूंजी व्यय ₹4,12,085 करोड़ आकलित है जो सं.अ. 2019-20 स्तर की तुलना में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

42. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय ब.अ. 2020-21 में 0.1 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है (सं.अ. 2019-20 की तुलना में) जिससे यह जीडीपी के 1.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। संभावना है कि 2022-23 तक अवसंरचना परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा बल दिए जाने के कारण पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

जीडीपी वृद्धि

43. वैश्विक कारकों और घरेलू वित्तीय बाजार चुनौतियों की वजह से वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2019-20 में साधारण 5.0 प्रतिशत रही जबकि 2018-19 में इसकी वृद्धि 6.8 प्रतिशत की दर से हुई थी। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत सुदृढ़ बने हुए हैं और संभावना है कि 2020-21 की पहली तिमाही से इसमें पुनः उछाल आएगा। आशा है कि अंकित सकल घरेलू उत्पाद 2018-19 में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2019-20 में 7.5 प्रतिशत (₹2,04,42,233 करोड़ पहुंचने के लिए) की दर से बढ़ेगा। आशा है कि 2020-21 से जीडीपी वृद्धि की रफ्तार तेज होगी। 2020-21 में आशा

है कि अंकित जीडीपी 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और ₹2,24,89,420 करोड़ का स्तर हासिल करेगी। अनुमान है कि अंकित सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 तथा 2022-23 में क्रमशः 12.6 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत से बढ़ेगा। कुल मिलाकर, 2021-22 और 2022-23 के लिए जीडीपी क्रमशः ₹2,53,15,981 करोड़ और ₹2,85,54,285 करोड़ रहेगी।

राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन के संबंध में वहनीयता का मूल्यांकन

44. कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (निवल) और कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के सं.अ. मुख्य रूप से कर राजस्व में गिरावट के कारण ब.अ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹1,12,661 करोड़ के बराबर कमी दर्शाते हैं। ब.अ. 2020-21 में राजस्व प्राप्तियां ₹20,20,926 करोड़ (₹16,35,909 करोड़ कर राजस्व-निवल के अंतर्गत और ₹3,85,017 करोड़ एनटीआर के तहत) पर अनुमानित हैं। सं.अ. 2019-20 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां ₹3,45,513 करोड़ होने की आशा है। इसकी तुलना में, ब.अ. 2019-20 की अपेक्षा सं.अ. 2019-20 में राजस्व व्यय ₹98,135 करोड़ तक घटने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.4 प्रतिशत होने की आशा है जो ब.अ. की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

45. वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत की वृद्धि होने और पिछले अनुमान वर्ष में जीडीपी के लगभग 9 प्रतिशत रहने की संभावना है। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व (निवल) 12.3 प्रतिशत और 12.6 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की आशा है। दूसरी ओर, राजस्व व्यय मध्यावधि में राजस्व प्राप्तियों से कम दर पर बढ़ने की आशा है। उम्मीद है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2021-22 में 11.1 प्रतिशत और 2022-23 में 10.7 प्रतिशत पर आ जाएगा। इससे बाद में 2021-22 और 2022-23 में राजस्व घाटा घटकर जीडीपी का क्रमशः 2.1 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा।

46. वर्ष 2019-20 के लिए कुल पूंजी प्राप्तियां ₹8,48,452 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 90.6 प्रतिशत उधारों और राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए संकुचित अन्य देयताओं से संबंधित है। इसके अनुरूप, ₹3,48,907 करोड़ के पूंजी व्यय की बजटीय व्यवस्था की गई है जो राजकोषीय घाटे का 45.4 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय के सृजन हेतु सहायता अनुदान का उल्लेख उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वायत्त निकायों को दिए गए अनुदानों के संदर्भ में है जो पूंजीगत व्यय के सृजन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि केन्द्रीय बजट में उनकी बजटीय व्यवस्था राजस्व व्यय के रूप में की जाती है। इन्हें संशोधित करके ₹2,07,333 करोड़ कर दिया गया है।

47. ब.अ. 2020-21 में, उधारों के अंश के साथ ₹10,07,378 करोड़ की पूंजी प्राप्तियों की बजटीय व्यवस्था की गई है जो घटकर

78.7 प्रतिशत रह गई है। कार्यनीतिक आस्तियों के विनिवेश के कारण ब.अ. 2020-21 में ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति बढ़ने की आशा है। निवेश पाइपलाइन स्कीम के कारण सं.अ. 2019-20 की तुलना में पूंजीगत व्यय भी 18.1 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। तथापि, राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे की स्थिति 2019-20 में 68.3 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में बिगड़कर 75.1 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

48. मध्यावधि में, मध्यावधि में राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय की उच्चतर वृद्धि गति के कारण राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2021-22 में 67.7 प्रतिशत से सुधर कर 2022-23 में 61.6 प्रतिशत होने की आशा है।

राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन

अप्रत्यक्ष कर नीति

49. सीमा शुल्क

- विनिर्माण के लिए उद्योगों में प्रयुक्त इनपुट्स/अंतरमध्यवर्ती उत्पादों (औद्योगिक रसायनों, अयस्कों और सांद्रणों, ईंधनों, वस्त्र और धागों आदि) पर बुनियादी सीमा शुल्क की सामान्यतः दरें शून्य/2.5 प्रतिशत/5 प्रतिशत/7.6 प्रतिशत हैं।
- उपभोग की तैयार वस्तुओं अर्थात् कागज और कागज निर्मित उत्पादों, मार्बल स्लैबों, आटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आदि जैसी वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगता है।
- शुल्क संरचना में व्युत्क्रमों को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। प्रशुल्क आयोग और डीपीआईआईटी, घरेलू उद्योग से संबंधित व्युत्क्रमों/नकारात्मक प्रभाव संरक्षण के मुद्दों की जांच करता है। अधिकांश मामलों में प्रशुल्क आयोग को कोई भी व्युत्क्रम नहीं मिला। उनके द्वारा अनुशंसित कुछ एक मामलों में समुचित सुधार किए गए हैं। वर्तमान में व्युत्क्रमों के बारे में यह कहा जाता है कि वे एफटीए और आईटीए से आवश्यक रूप से प्रोद्भूत होते हैं, जिसकी समीक्षा का कार्य वाणिज्य विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है।
- देश के सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बलों द्वारा आयात किए गए विशिष्ट रक्षा उपस्कर और इनके भागों को आम बजट 2019-20 में बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से छूट दी गई है।
- सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप आम बजट 2019-20 में कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क को बढ़ाया गया है ताकि सभी को समान अवसर, बेहतर क्षमता उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और आयात के विकल्प प्राप्त किए जा सकें। कुछ वस्तुओं जैसे विशिष्ट इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक/टेलीकॉम उपस्कर और हार्डवेयर, पोलिविनाइल क्लोराइड, नाइलोन की विशिष्ट वस्तुएं, एचडीपीई और प्लास्टिक, स्टेनेलेस

स्टील और अन्य मिश्र धातु स्टील और उनके अर्धनिर्मित उत्पाद, मिश्रित धातु स्टील के तार, कतिपय ऑटोमोबाइल कल-पुर्जे, अखबारी कागज, अखबारों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त अनकोटिड पेपर और पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए लाइटवेट कोटिड पेपर पर सीमा-शुल्क बढ़ाया गया था। पाम स्टीयरिन और वसायुक्त तेलों को अंतिम रूप से प्रयुक्त के आधार पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है।

- इसके अलावा, निविष्टि लागतों को कम करने और/या प्रतिलोम शुल्क को हटाने के लिए कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम किया गया था ताकि इन क्षेत्रों में घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। कुछ अन्य वस्तुएं जिन पर सीमा शुल्क कम किया गया था वे हैं- इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए विशिष्ट कल-पुर्जे, नापथा, ईथाइलिन डाइक्लोराइड (ईडीसी), प्रोपाइलीन ऑक्साइड (पीओ) और कृत्रिम गुर्दों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, डिस्पोजेबल स्टेरीलाइज्ड डायलाइजर और कृत्रिम गुर्दे का माइक्रा-बेरियर। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं नामतः पोप्युलेटिड पीसीबीए, सेल्युलर मोबाइल फोनों का कैमरा मॉड्यूल, सेल्युलर मोबाइल फोन का चार्जर/एडैप्टर, लिथियम आयन सेल, डिस्प्ले मॉड्यूल, सेट टॉप बॉक्स और कॉम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल को बीसीडी से छूट दी गई थी।
 - निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए ईआई लैडर (चमड़े) पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है और हाइड्रस, स्किन और लैडर (टैन्ड और अनटैन्ड सभी प्रकार के) पर निर्यात शुल्क घटाया गया है।
 - इसके अलावा, राजस्व संवर्धन की कवायद के रूप में, सभी कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कीमती धातु (रोडियम के अलावा) का अवशिष्ट, सोने और चांदी की डोर, किसी पात्र यात्री द्वारा खरीदा गया सोना/चांदी पर सीमा शुल्क की दरों को 2.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत) बढ़ा दिया गया है।
50. **माल और सेवा कर-** जीएसटी को लागू करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम रहा है क्योंकि इसने अप्रत्यक्ष कर के बहु स्तरीय जटिल ढांचे को सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी प्रेरित कर व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया है। जीएसटी ने अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य की बाधाओं को तोड़ते हुए भारत को एकल सामान्य बाजार के रूप में एकीकृत कर दिया है। करों के क्रम प्रपात को समाप्त करते हुए और लेन-देन लागतों को कम करते हुए जीएसटी ने व्यवसाय करना आसान बनाने (ईज ऑफ डूइंग) को बढ़ावा दिया है और 'मेक इन इंडिया' अभियान को बल प्रदान किया है।
51. तथापि, जीएसटी के कार्यान्वयन को लेकर आलोचनाएं भी हुईं। इसकी अनेक दरें हैं, बहुत सी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, और यह प्रणाली जैसी सरल होनी चाहिए उससे कहीं अधिक जटिल है विशेषकर निविष्टियां पर प्रदत्त करों के जमा करने और निर्यातकों को वापसी अदायगी करने के मामले में। सरकार ने इनमें से

अनेक समस्याओं को स्वीकार किया है और इन्हें नियमित आधार पर दूर किया जा रहा है।

52. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार एकल स्रोत वाली पूर्णतः स्वचालित नई विवरणी प्रणाली, नकद बही प्रणाली का यौक्तिकीकरण और वापसी अदायगी-संवितरण का एकल तंत्र आदि को कार्यान्वित करने जा रही है।

53. एकल स्रोत वाली पूर्णतः स्वचालित विवरणी प्रणाली

- माल और सेवा कर (जीएसटी) के प्रारंभ से ही सरकार का मुख्य आशय लेन-देनों का बीजक (इनवॉयस) स्तर पर ही लेखा समाधान करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली लाना था। इसे जीएसटीआर-1 जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 विवरणियों के रूप में परिकल्पित किया गया था। तथापि, करदाता की सुविधा और राजस्व हित के लिए जीएसटीआर-1 के साथ पठित फॉर्म जीएसटीआर-3 बी में सरलीकृत विवरणी प्रारंभ की गई थी।
- सरकार जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 विवरणियों के क्रम का अनुपालन करते हुए बीजक स्तर पर लेखा-समाधान के अपने प्रमुख प्रस्ताव को कार्यान्वित करना चाहती थी। अब, विवरणी भरने की नई प्रणाली के अंतर्गत, सरकार इसी तरह का संचालन प्रारूप कायम रखे हुए है, हालांकि इसके साथ ही नई प्रणाली का उद्देश्य है हाथ से किए जाने वाले प्रयासों को कम करना और प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर प्रयोग करना। इसे ऐसी एकल प्रमुख विवरणी (जीएसटी आरईटी-1/2/3) के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसके साथ पृथक सुविधा पर कार्य करने वाले दो अनुबंध (जीएसटी एनएक्स-1 और जीएसटी एनएक्स-2) संलग्न हैं।
- नई विवरणी प्रणाली को 1.4.2020 से प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। एनएक्स-1/ एनएक्स-2 के 10 लाख स्वैच्छिक अपलोड का लक्ष्य रखा गया है ताकि करदाताओं को प्रस्तावित नई विवरणी प्रणाली का अनुभव मिले और नई प्रणाली शुरू किए जाने से पहले इसके प्रति विश्वास प्राप्त किया जा सके। एक दिनभर लंबा राष्ट्रीय प्रतिपुष्टि सत्र भी आयोजित किया गया ताकि करदाताओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर करदाताओं द्वारा बताई गई समस्याओं को लेकर इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाया जा सके और इसके क्रियान्वयन से पहले ही किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

54. फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 और एकल संवितरण के माध्यम से पूर्णतः इलैक्ट्रॉनिक रिफंड प्रक्रिया

- वापसी अदायगी प्रक्रिया को पूर्णतः इलैक्ट्रॉनिक बनाने के लिए, जिसमें विवरणियों को जमा करने और इनके संसाधन के सभी चरण इलैक्ट्रॉनिक रूप से पूरे किए जाएंगे, आवश्यक क्षमताओं को 26.09.2019 से सामान्य पोर्टल पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कर प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न

कर शीर्षों के अंतर्गत रिफंड की राशियों का अलग-अलग संवितरण अर्थात् केन्द्रीय कर, एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर का संवितरण केन्द्रीय कर अधिकारियों द्वारा और राज्य कर का संवितरण राज्य कर अधिकारियों द्वारा किया जाना रिफंड आवेदकों के लिए अनावश्यक कठिनाई का कारण बना हुआ था। इस मामले में रिफंड आवेदकों की सुविधा के लिए सभी कर शीर्षों के अंतर्गत संस्वीकृत रिफंड राशि के लिए संस्वीकृति आदेश और तत्संगत भुगतान आदेश केवल एक ही अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

55. **नकद बही का यौक्तिकीकरण:** एकल नकद बही के संबंध में, बही का इस तरीके से यौक्तिकीकरण किया जा रहा है कि पहले के 20 शीर्षों का 5 बड़े शीर्षों में विलय किया जा रहा है। एकीकृत नकद बही को 01.02.2020 से क्रियान्वित किया जाएगा।

56. **दस्तावेज पहचान संख्या का सृजन और उद्घरण:** अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के सरकार के उद्देश्य के अनुसार सीबीआईसी ने सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के माध्यम से 08.11.2019 से दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) को लागू किया है जो इसके कार्यालयों द्वारा करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे गए सभी प्रकार के पत्रों के लिए है। फिलहाल डीआईएन किसी पूछताछ प्रक्रिया में जारी किए गए तलाशी प्राधिकार, सम्मन, गिरफ्तारी ज्ञापनों, निरीक्षण नोटिसों और पत्रों के लिए लागू हैं।

57. सबका विश्वास (वसीयत विवाद समाधान) स्कीम 2019

- यह स्कीम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के पिछले विवादों के परिसमापन के लिए एकबारगी उपाय है। इस स्कीम के अंतर्गत गैर-अनुपालक कर दाताओं को स्वैच्छिक प्रकटन का अवसर प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले मामले हैं- (i) कारण बताओ नोटिस या 30 जून, 2019 तक लंबित कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न अपीलें, (ii) बकायों की राशि, (iii) कोई पूछताछ, जांच या लेखा परीक्षा जहां राशि 30 जून, 2019 को या इससे पहले निर्धारित की गई है, (iv) कोई स्वैच्छिक प्रकटन।
- स्कीम में प्रावधान है कि पात्र व्यक्ति अप्रदत्त कर बकायों की घोषणा करेगा और स्कीम के उपबंधों के अनुसार इसका भुगतान करेगा। स्कीम में घोषित कर बकायों का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति, ब्याज या अभियोजन सहित किसी अन्य कार्यवाही से मुक्ति का भी प्रावधान है।

58. **इलैक्ट्रॉनिक बीजक-** सरकार ने सभी बी2बी बीजकों के लिए चरणबद्ध तरीके से इलैक्ट्रॉनिक बीजक प्रणाली (ई-इनवॉयस) प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है। चरण-1 स्वैच्छिक होगा और इसे जनवरी, 2020 से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा, ₹100 करोड़ से अधिक वार्षिक पण्यावर्त वाले व्यक्तियों के लिए ई-इनवायसिंग को 01.04.2020 से अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इससे क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह और बीजक से मेल करने में मदद मिलेगी जैसा कि जीएसटी व्यवस्था में परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, जीएसटीएन

पर आंकड़ों का उसी समय अद्यतन करने में मदद मिलेगी और इससे विवरणियां दर्ज करने में लगने वाले समय को एकदम कम किया जा सकता है।

59. **क्विक रेस्पॉस (क्यूआर) कोड-** सरकार ₹500 करोड़ से अधिक के कुल वार्षिक पण्यावर्त वाले करदाताओं हेतु सभी बी2सी बीजकों के लिए 01.04.2020 से गतिक क्यूआर कोड वाले बीजक की प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव कर रही है। इसके अतिरिक्त, इसके निर्वाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन करदाताओं के पास 01.03.2020 से स्वैच्छिक रूप से क्यूआर कोड वाले इनवॉयस जारी करने का विकल्प होगा।

60. **छोटे करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणियां दर्ज करने की छूट-** सरकार ने ₹2 करोड़ और इससे कम कुल वार्षिक पण्यावर्त वाले छोटे करदाताओं को दिनांक 09.10.2019 की अधिसूचना सं. 47/2019-सीटी के द्वारा 2017-18 और 2018-19 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9 प्रपत्र में वार्षिक विवरणियां दर्ज करने से छूट दी है। इस अधिसूचना में प्रावधान है कि यदि इन करदाताओं ने निर्धारित तारीख तक अपनी वार्षिक विवरणियां नहीं दर्ज की हैं, तो इन्हें निर्धारित तारीख तक भेजा गया माना जाना चाहिए।

61. **वस्तुओं पर दरों के संदर्भ में परिवर्तन-** वर्ष 2019 के दौरान जीएसटी दरों में परिवर्तन किया गया है ताकि जीएसटी दर के ढांचे को और सरल बनाया जा सके, निर्यातों को बढ़ावा दिया जा सके, क्रेडिट संचयन के मुद्दों को निपटाया जा सके, पिछली अवधियों के विवादों का समाधान किया जा सके आदि।

62. ऑटो और ऑटो के पुर्जों पर जीएसटी दर ढांचे पर पिछले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण चर्चा और वाद विवाद किया गया है। ऑटो क्षेत्र का जीएसटी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए, ऑटोमोबाइल्स और इनके कलपुर्जों की जीएसटी दर में किसी भी बदलाव का राजस्व और प्रतिपूर्ति संबंधी अपेक्षाओं के प्रति पर्याप्त निहितार्थ होगा। ऑटो क्षेत्रों पर जीएसटी दरों पर जीएसटी परिषद में चर्चा की गई है। परिषद ने किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की है। यह भी अनुभव किया गया था कि ऑटो में अस्थायी मंदी कतिपय अन्य कारणों से हो सकती है जैसे कि क्रेडिट की कमी, बेस इफेक्ट (जैसाकि पिछले कुछ वर्षों में ऑटो क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है) और ढांचागत बदलाव जैसे अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से बीएस-VI के रूप में नए ईंधन मानकों को अपनाया आदि।

63. **इलैक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी:** स्वच्छ और निरंतर पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों और इलैक्ट्रिक वाहन के चार्जर्स पर जीएसटी दर को कम करके 5 प्रतिशत कर दिया है।

प्रत्यक्ष कर नीति

64. कर आधार के विस्तार के लिए विधायी उपायों को प्रशासनिक उपायों के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि करों की चोरी और कर आधार के अपरदन को रोका जा सके। अनुपालन में सुधार लाने, करदाताओं की सेवाओं को कारगर बनाने, आंतरिक व्यवसाय की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और राजस्व के संवर्द्धन के लिए आय कर

प्रशासन के संबंध में अनेक प्रशासनिक और प्रौद्योगिकिय पहलें की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

➤ ई-निर्धारण स्कीम, 2019 का क्रियान्वयन:-

कर प्रशासन में और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 12 सितंबर, 2019 की अधिसूचना के द्वारा आय कर की इलैक्ट्रिक मोड में बिना किसी मानव हस्तक्षेप वाली ई-निर्धारण स्कीम प्रारंभ की है। राष्ट्रीय ई-निर्धारण स्कीम (एनईएसी) को 08.10.2019 को एकीकृत किया गया था जिसे इनसाइट टीम की सहायता से आईटीबीए पर कार्यान्वित किया गया है। आईटीबीए प्लेटफॉर्म पर इस स्कीम के क्रियान्वयन के साथ, निर्धारण प्रक्रिया में बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व देखने में आया है क्योंकि करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं है। प्रथम चरण में, 58,322 मामलों को पहचान रहित (फेसलेस) ई-निर्धारण स्कीम, 2019 के अंतर्गत जांच के लिए चुना गया है और निर्धारण वर्ष 2018-19 के मामलों के लिए 30 सितम्बर, 2019 से पहले ई-नोटिस जारी किए गए हैं। फेसलेस निर्धारण के लाभ ये हैं कि इसमें निर्धारण अधिकारी और निर्धारित के बीच कोई मानव संपर्क नहीं होता; मितव्ययिता के पैमाने पर संसाधनों का प्रयोग इष्टतम होता है; परिवर्तनशील क्षेत्राधिकार के साथ टीम-आधारित निर्धारण प्रारंभ हुआ है; यह करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाता है; पारदर्शिता और दक्षता लाता है इस प्रकार मॉनीटरिंग और निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार आया है।

➤ दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) का उद्घरण प्रारंभ करना:

एक बड़े कदम के रूप में, जिससे आयकर विभाग के कार्यचलन में दक्षता और पारदर्शिता आएगी, विभाग के 1 अक्टूबर, 2019 से जारी किए गए प्रत्येक पत्राचार में चाहे वह निर्धारण, अपीलें, जांच, शास्ति और शुद्धिकरण या किसी अन्य विषय से संबंधित हो, में अनिवार्य रूप से कंप्यूटर सृजित यूनिक दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) होगी। अब किसी भी निगम या व्यक्ति करदाता को जारी कोई भी कर नोटिस, सम्मन या पत्र 1 अक्टूबर, 2019 को या इसके बाद इस नंबर के बिना जारी किए जाने पर अवैध होगा बशर्ते कि कंप्यूटर सृजित दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित किया गया हो और इसे इस पत्र के अंदर सम्यक रूप से उद्धृत किया गया हो। इस कार्य पद्धति को लागू करने के बाद करदाता आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिस/पत्र/आदेश की प्रामाणिकता को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के प्री-लॉग इन पेज से सत्यापित भी कर सकते हैं।

➤ **विवरणी को समय-पूर्व दर्ज करना:** व्यष्टियों के लिए अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से, 2 करोड़ से अधिक वेतनभोगी करदाताओं को आयकर विवरणी (आईटीआर) समय-पूर्व करने का प्रावधान किया गया है।

➤ **आधार यूआईडीएआई के साथ पैन का एकीकरण (आधार के साथ पैन को जोड़ना):** दोहरे प्रयोजन के लिए आधार के साथ पैन को जोड़ने हेतु यूआईडीएआई के साथ डाटाबेस के एकीकरण का कार्य पहले ही किया जा चुका है। यह किसी भी आवेदक को दूसरा कोई भी पैन जारी करने तथा पहले से ही जारी किया गया पैन कार्ड रखने वाले

आवेदक की पहचान करने पर रोक लगाता है। 30.11.2019 तक व्यक्तियों के कुल 29,65,57,524 पैन आधार डाटाबेस के साथ जोड़े जा चुके हैं जो व्यक्तियों को आवंटित कुल पैन का लगभग 62.43 प्रतिशत है। नवम्बर, 2019 माह के दौरान कुल 51,20,991 पैन को आधार डाटाबेस से प्रमाणित किया जा चुका है। वर्तमान में शेष पैन को आधार से जोड़ने की कार्यवाही जारी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह अधिदेश दिया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे 01 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार स्थायी खाता आवंटित किया जा चुका है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है वह 31 मार्च, 2020 तक अपनी आधार संख्या की सूचना, प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) अथवा प्रधान निदेशक, आयकर (प्रणाली) को देगा, उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें अधिनियम की उपधारा 139कक के तहत अपवर्जित कर दिया गया है।

➤ पैन में अन्य पहलें:

आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए स्थायी खाता संख्या (पैन) की भूमिका अब विभाग से आगे 'पहचानकर्ता' की हो गई है क्योंकि अब यह बैंक खाता खोलने, डी-मेट खाता खोलने, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114(ख) में निर्धारित अन्य वित्तीय लेन-देनों, माल और सेवा कर (जीएसटी) आदि हेतु पंजीकरण जैसे कार्यकलापों के लिए अपेक्षित है। इस प्रकार पैन का उपयोग अनेक सरकारी विभागों और सेवाओं के लिए पंजीकरण प्रदान करने हेतु सामान्य व्यवसाय पहचान संख्या (सीबीआईएन) या साधारण व्यवसाय पहचान संख्या (बीआईएन) होने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आधार आधारित ईकेवाईसी आवेदन के तरीके के जरिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को कुल दो घंटे के टर्न अराउंड समय (टीएटी) के भीतर ई-पैन आवंटित किया जा रहा है। इसके अलावा, मौजूदा पैन धारकों को ओटीपी प्रमाणन के पश्चात पैन की वेबसाइट के जरिए ई-पैन डाउनलोड करने की सुविधा का सृजन किया गया है। इससे एक सुरक्षित ई-पैन प्राप्त होता है जिसे प्रिंट किया जा सकता है। इसके अलावा, ई-पैन में एक आवर्धित क्यूआर कोड अंतःस्थापित होता है जो आवेदक का जनसांख्यिकीय डाटा और फोटो एवं हस्ताक्षर ग्रहण कर लेता है। इस क्यूआर कोड को एक ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर सरलता से उपलब्ध होता है, के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। आवर्धित क्यूआर कोड से पैन डाटा का ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है, अतः इससे फोटो शॉपिंग आदि के माध्यम से हटा पाना असंभव होता है जिसके परिणामस्वरूप पैन कार्ड और ई-पैन की सुरक्षा अधिक बढ़ जाती है।

➤ एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीयकृत प्रक्रिया केन्द्र (सीपीसी) 2.0:

करदाताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीयकृत प्रक्रिया केन्द्र 2.0 प्रोजेक्ट (इसके बाद इसे सीपीसी 2.0 प्रोजेक्ट कहा गया है) में सभी करदाताओं को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए, भारत में आयकर दायर करने और उसकी प्रक्रिया

आरंभ करने की विधि को पुनः निर्धारित करने पर विचार किया गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग के सीपीसी 2.0 प्रोजेक्ट के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसका उद्देश्य शुद्धता में सुधार लाने और रिफंड/प्रक्रिया की संपूर्ण समय (टर्न अराउंड) में भारी कमी लाने की विधि के रूप में आयकर विवरणी निर्धारित तिथि से पूर्व भरने और आयकरदाता द्वारा उसे स्वीकृत करने; करदाताओं के लिए बकाए कर मांगों का समाधान सरल बनाने; करदाताओं की सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए डिजिटल मीडिया और नियोक्ता/सहभागी प्रमाणन कार्यक्रम के माध्यम से करदाता सहायता और करदाता आउटरीच कार्यक्रम के लिए एकीकृत संपर्क केन्द्र जैसे उपाय आरंभ करके आयकर प्रबंधन में सुधार लाना है। निरंतर, एकसमान, नियम संचालित, पहचान आधारित विधि से संपूर्ण देश में सभी श्रेणी के करदाताओं द्वारा दायर विवरणियों की प्रक्रिया आरंभ करके समस्तरीय इक्विटी सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। इससे प्रत्येक करदाता की उसकी स्थिति को ध्यान में रखे बिना कर समाधान में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

➤ केन्द्रीय प्रक्रिया कक्ष (स्रोत पर कर कटौती), संक्षिप्त में सीपीसी (टीडीएस)

केन्द्रीय प्रक्रिया कक्ष - सीपीसी(टीडीएस) एक नियम आधारित प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली के माध्यम से टीडीएस विवरणी का शुरु से अंत तक प्रक्रिया पूरी करता है और ई-सर्विसेज मुहैया कराता है जो संपूर्ण भारत और विदेशों के 23.75 लाख से अधिक कर कटौतीकर्ताओं, 9.09 करोड़ से अधिक करदाताओं और संपूर्ण भारत में टीडीएस का प्रशासन करने वाले आयकर विभाग के 980 से अधिक अधिकारियों को किसी भी समय, कहीं भी सुलभ है। अब सीपीसी(टीडीएस) कटौतीकर्ताओं द्वारा दिए गए आकड़ों से और कर भुगतानों (बैंकों या अन्य सक्षम संस्थाओं द्वारा सूचित) का मिलान करने के बाद टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करता है। इन प्रमाणपत्रों, जिनमें एक संदर्भ संख्या होती है, का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है और यह किसी कटौतीकर्ता-कटौती किए गए व्यक्ति के समूह के लिए विशिष्ट होता है। अभी तक TRACES वेबसाइट से कटौतीकर्ताओं द्वारा 209.14 करोड़ से अधिक डिजिटल टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड किए गए हैं। इसके अलावा, 197 प्रमाणपत्र (कम कटौती प्रमाणपत्र) ऑनलाइन जारी किए गए हैं जिनमें संपर्क करने का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। प्रमाणपत्र में संशोधन करने सहित 197 प्रमाणपत्रों को जारी करने का कार्य अब पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है जो तेजी से कार्य करने वाले और करदाताओं के लिए सुविधाजनक है। कैलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान, सीपीसी(टीडीएस) द्वारा अनेक नई पहलें की गई हैं जैसेकि आईटीआर निर्धारित समय से पूर्व भरने के लिए वेतन के विस्तृत आंकड़े ग्रहण करने के लिए उन्नत 24क्यू, जिसके फलस्वरूप करदाताओं के लिए इसका उपयोग करना आसान हो गया है। करदाताओं के लिए आयकर कार्यालय से प्राप्त सूचना को सत्यापित करना सरल बनाने के लिए ट्रेसेज के

होमपेज पर जीआईएन सत्यापन प्रकार्य की व्यवस्था की गई है।

➤ करदाताओं द्वारा प्रत्यक्षकर का ऑनलाइन भुगतान

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, हाल में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं: वर्तमान में, 6 बैंकों, नामतः भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डियन बैंक, एचडीएफसी, केनरा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भी ऑनलाइन ई-भुगतान सुविधा आरंभ की है; कार्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डियन बैंक, यूको बैंक, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम भी कर भुगतान के लिए उपयोग किए जा सकते हैं; करदाता ऑनलाइन आईटीआर तैयारी सुविधा (आईटीआर1 और आईटीआर4) पर कर भुगतान लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो सभी भागों को पहले से भरे हुए कर भुगतान पोर्टल से भरा हुआ स्व-निर्धारण कर चालान प्रदर्शित करेगा। उपयोगकर्ता को केवल बैंक का चयन करने और भुगतान की कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इससे कर भुगतान सरल हो गया है और कर चालान भरने में गलती होने की संभावना भी कम हो गई है; चालान 280 भुगतान और चालान स्थिति पूछताछ (सीआईएन आधारित दर्शन) को उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) के साथ एकीकृत कर दिया गया है और इसके साथ ही अब उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर भुगतान और रिफंड की स्थिति के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

➤ सीपीसी-आईटीआर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई सभी आयकर विवरणियों की प्रक्रिया और लेखांकन करने के लिए आयकर विभाग का प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीसी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 5.94 करोड़ आयकर विवरणियों की प्रक्रिया पूरी की है जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, सीपीसी ने वित्त वर्ष 2019-20 में 30 नवम्बर, 2019 तक 4.72 करोड़ विवरणियों की प्रक्रिया पूरी की है। साथ ही, सीपीसी ने ई-फाइलिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट (ईवीसी) कार्यान्वित की है जो सफल रहा है और 50 लाख से अधिक करदाताओं ने इस ग्रीन पहल को अपनाया है। सीपीसी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईवीसी के माध्यम से प्रमाणीकृत 3.02 करोड़ विवरणियों की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए औसत प्रक्रिया समय को घटाकर 50 दिन कर दिया गया है जो नागरिक संहिता में निर्धारित अवधि (6 माह) से कम है और मैन्युअल प्रक्रिया के निष्पादन से बहुत ही कम है।

➤ सीपीसी ने वित्त वर्ष 2016-17 में वेब आधारित करदाता शिकायत प्रणाली सक्रिय की है। इस प्रणाली के अंतर्गत, करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग वेब पोर्टल को लॉगइन कर सक्ता है

और अपनी शिकायतें ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। शिकायतों का समाधान और अन्य सहायता करदाताओं के पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पर शिकायत के समाधान की स्थिति भी अपडेट की जाती है। 31 मार्च, 2019 तक, 14.70 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 14.59 लाख (96 प्रतिशत) शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। ई-निवारण केन्द्रीयकृत शिकायत प्रणाली को 19 अगस्त, 2016 से ऑनलाइन शिकायत पोर्टल से जोड़ दिया गया है और 31 मार्च, 2019 तक 11.32 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थीं और 10.99 लाख शिकायतों की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। वित्त वर्ष 2019-20 में, 30 नवम्बर, 2019 तक 4.79 लाख की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है।

➤ ई-फाइलिंग प्रोजेक्ट, करदाताओं को वेब-आधारित सेवाएं मुहैया कराने के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त एक प्रमुख ई-गवर्नेंस एवं ई-डिलिवरी उपाय है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य करदाताओं द्वारा और ई-रिटर्न मध्यस्थों (ईआरआई) के माध्यम से सीधे इंटरनेट पर आयकर विवरणी, ऑडिट रिपोर्ट और आयकर के अंतर्गत निर्धारित अन्य फार्म का ई-फाइल सक्रिय करना है। इस प्रोजेक्ट में विवरणियों को दायर करने में सरकारी निजी भागीदारी की सुविधा मुहैया कराने के लिए वेब आधारित अन्य सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। इंटरनेट पर आयकर विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की गति वित्त वर्ष 2006-07 से बढ़ गई है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की संख्या वित्त वर्ष 2006-07 में लगभग 4 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 668.09 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, 30 नवम्बर, 2019 तक **636.63 लाख** विवरणियां दायर की जा चुकी हैं।

➤ ई-निवारण आयकर विभाग की ऑनलाइन शिकायत समाधान प्रणाली है। करदाताओं द्वारा सभी प्रकार की शिकायतें; जैसेकि पैन आवेदन, प्रोसेस करना, निर्धारण, अपील, टीडीएस आदि दायर की जा सकती हैं। यह एक शत प्रतिशत कागजरहित प्रणाली है, जहां ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है। आयकर विभाग के नेटवर्क के अलावा, अन्य संबंधित एजेंसियां जैसे एनएसडीएल, यूटीआईआईटीएसएल, एसबीआई रिफंड बैंकर आदि भी इस योजना में लगाई गई हैं। सीपीसी-आईटीआर, सीपीसी-टीडीएस और ई-फाइलिंग पोर्टल भी हैं और ये करदाताओं द्वारा दायर की गई शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। CPGRAMS से दायर शिकायतों को भी शीघ्र ही जोड़ा जाएगा।

➤ **करदाताओं को रिफंड का भुगतान:** रिफंड बैंकर प्रोजेक्ट में रिफंड निर्धारित करने, तैयार करने, जारी करने, प्रेषित करने और खाते में जमा करने के लिए प्रणाली संचालित प्रक्रिया सक्रिय की गई है। इस प्रोजेक्ट ने डिलिवरी और रिफंड की प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित, तीव्र और पारदर्शी बना दी है। रिफंड बैंकर योजना के अंतर्गत, आयकर निर्धारण

अधिकारी और सीपीसी द्वारा निर्धारित रिफंड भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जिसे इस विभाग के रिफंड बैंकर एजेंट के रूप में नामित किया गया है, के माध्यम से ईसीएस द्वारा भेजा जाता है या सीधे बैंक खातों में क्रेडिट किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, भारतीय डाक और नेशनल सिक्वोरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के सहयोग से एक वेब आधारित स्थिति निगरानी सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के माध्यम से जारी किए गए रिफंड की स्थिति का पता करने के लिए टोल फ्री नंबर के साथ कॉल सेंटर सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना के माध्यम से जारी किए गए रिफंड की संख्या और प्रतिशतता में तेजी से वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक) इस योजना के माध्यम से जारी किया गया रिफंड संपूर्ण भारत में जारी किए गए रिफंड की कुल संख्या का 99.99 प्रतिशत है। इसके अलावा, रिफंड के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में शिफ्ट करने के लिए पिछले दो वर्षों से पीएफएमएस का प्रयोग करके पैसों का प्रमाणीकरण की एक नई विधि कार्यान्वित की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, पीएफएमएस इंटरफेस का प्रयोग करके बैंकों को पैसों का प्रमाणीकरण से संबंधित सूचनाएं भेजी जाती हैं और बैंक पैसों और खाता लिंक को वैध करने के लिए खाते में दिए गए पैसों, नाम आदि मुहैया कराते हैं। अप्रैल, 2019 से, इस विभाग ने एनपीसीआई जिसका विस्तृत क्षेत्र बैंकों के साथ जुड़ा होता है, के माध्यम से भी उस डाटा श्रृंखला को ऑनलाइन प्राप्त करना आरंभ कर दिया है। रिफंड जारी करने से पूर्व प्रमाणीकरण और पर्याप्त सतर्कता के लिए लगभग 3.5 करोड़ पैसों और बैंक खातों का भंडार तैयार किया गया है। प्रमाणित पैसों का प्रमाणीकरण के मामले में, पूर्वनिर्धारित सीमा (50,000) से अधिक रिफंड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाता है। इस पहल के परिणामस्वरूप, 01.03.2019 से इस विभाग ने 100 प्रतिशत रिफंड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना शुरू किया है।

व्यय नीति:

व्यय प्रबंधन

65. भारत सरकार, पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से देश की विकासात्मक आवश्यकताओं का वित्तपोषण करती रही है। 2016 में, केन्द्र प्रायोजित लगभग 66 योजनाओं को युक्तिसंगत करके 28 अम्बेला योजनाओं में बदल दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं का कालचक्र वित्त आयोग के कालचक्र के अनुरूप कर दिया जाएगा जिसका पहला कालचक्र 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाला था, जिससे कि वित्त आयोग के किसी कालचक्र में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के पास उपलब्ध संसाधनों के प्रवाह स्पष्ट हो।

66. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक योजना का मूल्यांकन किए जाने और वित्त आयोग के अगले कालचक्र के लिए अनुमोदित किए जाने से पहले उनकी मूल्यांकन आधारित परिणाम की समीक्षा की

जाएगी। तदनुसार, नीति आयोग केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। मंत्रालयों से भी कहा गया है कि वे केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन कराएं।

67. पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और केवल एक वर्ष के लिए उर्ध्वगामी और क्षैतिज अंतरणों के आधार पर सिफारिशों की हैं। आयोग 2021-22 से 2025-26 की विस्तारित अवधि के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध कराएगा। इसी बीच, मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी की जाएगी।

68. वित्त आयोग के कालचक्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, वित्तपोषण में स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करने के लिए, 31 मार्च, 2020 के बाद या जिस तारीख तक योजनाएं पहले से अनुमोदित हैं, उस तारीख के बाद 31 मार्च, 2021 तक या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, एक अंतरिम विस्तार प्रदान किया गया है। (व्यय विभाग का का. ज्ञा. दिनांक 10 जनवरी, 2020)

69. परिणाम बजट 2020-21 में निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है (क) निम्नलिखित के साथ वित्तीय परिव्यय (ख) स्पष्ट रूप से निर्धारित आउटपुट एवं आउटकम (ग) माप्य आउटपुट एवं आउटकम संकेतक और (घ) विशिष्ट आउटपुट एवं आउटकम लक्ष्य। इससे पारदर्शिता, अनुमान में काफी वृद्धि होगी और सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रमों को समझना सरल होगा।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):

70. डीबीटी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न कल्याणकारी और सस्मिडी कार्यक्रमों² के अंतर्गत किए गए वादों का लाभ पात्र एवं उचित लाभार्थियों तक पहुंचते हैं और वे उनके घर में या उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं। लाभार्थियों की बेहतर ढंग से पहचान करने, समय पर लाभ पहुंचाने और मध्यस्थों को दूर करने के लिए डीबीटी संरचना में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया गया है जिससे सरकारी संवितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही आई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का लक्ष्य गरीबों के वित्तीय समावेशन और आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत सस्मिडी, सेवाएं और लाभ प्रदान करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग करने के लिए विधायिका के अनुमोदन से डीबीटी के प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहन मिला है।

71. **केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में डीबीटी** - डीबीटी अपने उद्भव के समय से ही सफल रहा है। उसकी सीमा के अंतर्गत 56 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की 433 योजनाएं हैं। वर्तमान डीबीटी संरचना के अंतर्गत, योजनाओं के अंतर्गत दिए गए लाभों के किस्मों के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

- (ii) **जिन्स योजनाएं:** इस श्रेणी में 67 योजनाएं या योजनाओं के घटक शामिल हैं जहां लाभार्थी मुख्यतः बिक्री केन्द्रों (पीओएस)

2. जो भारत की संविधान निधि से वित्त पोषित हैं।

पर आधार आधारित प्रमाणन कराने के बाद माल, पण्यों आदि के रूप में सब्सिडी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, पीडीएस के अंतर्गत, वैध लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। उर्वरक सब्सिडी योजना के अंतर्गत, खाद कम्पनियां पीओएस पर आधार प्रमाणीकरण के बाद सब्सिडी दरों पर किसानों को खाद जारी करती हैं।

- (i) **नकद योजनाएं:** इस श्रेणी में 301 योजनाएं या योजनाओं के घटक शामिल हैं जहां सब्सिडियों/लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहल के अंतर्गत, लाभार्थी एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदते हैं और सब्सिडी सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी के सभी भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं।

72. शेष 65 योजनाएं मिश्रित योजनाएं हैं जिनमें नकद और वस्तु घटक दोनों हैं। इस प्रकार की एक योजना पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की “स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण” है जिसमें कुछ क्षेत्रों में चिह्नित लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि अंतरित की जाती है (घरेलू शौचालय का निर्माण करने के लिए) जबकि अन्य क्षेत्रों में, लाभार्थी को धनराशि प्रत्यक्ष रूप से अंतरित करने के बजाए लाभार्थियों के समुदाय संपर्क के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया जाता है।

73. **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डीबीटी** - सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्यों में कार्यान्वित सभी डीबीटी योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए डीबीटी सेल स्थापित किए हैं और सक्रिय स्टेट पोर्टल³ तैयार किए हैं। डीबीटी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक कुल 3,665 योजनाओं (2,196 केन्द्र द्वारा प्रायोजित और 1,469 राज्यों की योजनाएं) की पहचान की गई हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने क्रमशः “एपीकोर” (सीएम ऑफिस रियल टाइम), ‘समग्र’ और ‘भामाशाह’ जैसे सरकारी सेवा आपूर्ति प्रबंधन समाधान एकीकृत किए हैं। डीबीटी में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों की प्रतिकृति से राज्यों ने न केवल पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सफलता पाई है बल्कि अपने मुख्य सामाजिक-आर्थिक तथा जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के आधार पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रणाली भी तैयार की है।

74. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल** - 1 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लक्ष्य छात्रवृत्ति के लिए एक ही स्थान पर समाधान मुहैया कराना है। इससे बहुत सारे क्रिया-कलाप सुसाध्य होते हैं जिनका दायरा छात्र के पंजीकरण से लेकर आवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन, राष्ट्रीय स्तर पर दोहरीकरण न करना, योग्यता-सूची तैयार करना, निधियों की संस्वीकृति और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरण शामिल हैं; इनके द्वारा छात्रवृत्ति के कारगर वितरण को समर्थ बनाने के लिए शुरू से अंत तक व्यापक समाधान प्रदान किया जाता है।

75. अकादमी वर्ष 2018-19 में एनएसपी संबंधी 60 छात्रवृत्ति योजनाएं (10 मंत्रालयों और 9 राज्यों की) चलाई गईं और लगभग 68 लाख छात्रों को ₹2100 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति राशि संवितरित की गई थी। अकादमी वर्ष 2019-20 के लिए पोर्टल अभी तक खुला हुआ है और आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

76. **डीबीटी: वर्तमान स्थिति** : उपर्युक्त स्कीमों में डीबीटी कार्यान्वयन की प्रगति पर डीबीटी भारत पोर्टल के जरिए नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। 2013-14 में डीबीटी को अपनाए जाने से लेकर 30 दिसंबर, 2019 तक नकद और वस्तु स्कीमों के अंतर्गत लगभग **140.7 करोड़ पात्र लाभार्थियों⁴ को डीबीटी के माध्यम से 9,08,011 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया।**

77. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 30 दिसंबर तक अभिचिह्नंकित डीबीटी स्कीमों के अंतर्गत 140.7 करोड़ पात्र लाभार्थियों को ₹2,04,418 करोड़ अंतरित किए गए हैं।

78. **डीबीटी से अनुमानित लाभ** - डीबीटी से लाभार्थियों और सरकार दोनों को लाभ है। लाभार्थी स्तर पर डीबीटी से निर्विघ्न लाभ प्रदायगी सुसाध्य होने से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ। सरकार के लिए डीबीटी से हुए लाभों में, उन्नत गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी, दस्ती प्रक्रियान्वयन में कमी, निधि प्रवाहों का यौक्तिकीकरण, रिसाव में कमी आई और प्रदायगी की लागत कम होना है।

79. प्रमुख मंत्रालयों और विभागों ने, मुख्य रूप से दोहरे और फर्जी लाभार्थियों के हटने के कारण डीबीटी और संबंधित अभिशासन के सुधार से ₹1,41,677.6 करोड़ के अनुमानित लाभ की सूचना दी है। डीबीटी भारत पोर्टल में दी गई सूचना के अनुसार स्कीमवार अनुमानित लाभ का विभाजन अवलोकन हेतु अनुबंध-1 में दिया गया है।

3. पश्चिम बंगाल और लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य डीबीटी पोर्टल विकसित किए हैं।

4. गैर-यूनिक क्योंकि वही लाभार्थी एक से अधिक स्कीम के लिए पात्र हो सकता है।

80. केन्द्रित (फोकस) क्षेत्र

(i) **राज्य में डीबीटी का कार्यान्वयन** - विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और राज्य की स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारों द्वारा अभिचिन्हांकित 2,196 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और 1,469 राज्य की स्कीमों से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पृष्ठभूमि पर राज्यों के लिए डीबीटी स्कीमों का कार्यान्वयन करना एवं राज्यों में डीबीटी के कारगर तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रास्थितिकी प्रणाली का विकास करना आवश्यक हो जाता है।

(ii) **कृषि और उर्वरक जैसी प्रमुख सब्सिडियों का यौक्तिकीकरण**- हमारी अर्थव्यवस्था की कृषिक प्रकृति को देखते हुए कृषि और उर्वरक सब्सिडियां किसानों की सहायता के महत्वपूर्ण उपाय बने हुए हैं। रोजगार के लिए आधा से अधिक कार्यबल कृषि पर निर्भर हैं लगभग 80 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान हैं। इसको देखते हुए, सरकार कृषि को सब्सिडी देने के लिए भारी रकम खर्च करती है। इन सब्सिडी कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन किया जाता है और इसमें रिसाव की समस्या, खराब लक्ष्य और नैतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इन सब्सिडी कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है क्योंकि इससे विकृत मानसिकता को प्रोत्साहित करने की समस्या के साथ-साथ यह राज्य के वित्तसाधनों पर भार पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान, लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सब्सिडी प्रदायगी की प्रक्रिया में दलालों को हटाकर, आय और परिसंपत्ति स्वामित्व आंकड़ाधार जैसे लाभार्थी आंकड़ाधार के परितुलन के जरिए लाभार्थी की आर्थिक स्थिति को लाभार्थी के हक से जोड़ने, और दोहरीकरण न करने के तंत्र द्वारा छद्म लाभार्थियों को हटाकर किया जा सकता है, जिन्हें आधार का उपयोग करते हुए लाभार्थी के सत्यापन तंत्र के जरिए हासिल किया जा सकता है।

सब्सिडियां

81. वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख सब्सिडियों के लिए कुल सब्सिडी आवंटन ₹2,27,794 करोड़ अनुमानित है। इसमें खाद्य सब्सिडी (₹1,15,570 करोड़) उर्वरक (71,309 करोड़ रुपए) और इंधन (₹40,915 करोड़) शामिल है।

82. **उर्वरक सब्सिडी** - नई यूरिया नीति - 2015 (एनयूपी-2015) का उद्देश्य देसी यूरिया का उत्पादन बढ़ाना; यूरिया के उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाना है। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान यूरिया का कुल उत्पादन क्रमशः 242.01 लाख मीट्रिक टन 240.23 लाख मीट्रिक टन और 240 लाख मीट्रिक टन था, जो 2014-15 के उत्पादन से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त नई यूरिया नीति-2015 के तहत

ऊर्जा के मानदंडों में संशोधन के कारण क्रमशः वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹638.90 करोड़, ₹535.04 करोड़ और ₹615.28 करोड़ की बचत हुई है। परिणामस्वरूप तीन वर्षों में लगभग ₹1789 करोड़ की कुल बचत हुई है। मई 2019 में, नई यूरिया नीति 2015 की अवधि को 1 अप्रैल, 2019 से अगले आदेशों तक बढ़ाया गया है।

83. यूरिया यूनितों को नाफ्था फीडस्टॉक से प्राकृतिक गैस फीडस्टॉक में परिवर्तित करना : तीन नाफ्था स्थित यूरिया यूनितों अर्थात् मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड-मनाली (एमएफएल) साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसपीआईसी)-तूतीकोरीन और मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल) को गैस की उपलब्धता या गैस पाइप लाइन या किसी अन्य तरीके से इन तीनों यूनितों को जोड़ने तक फीडस्टॉक के रूप में नाफ्था का उपयोग करते हुए यूरिया का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एमएफएल ने पहले ही 29 जुलाई, 2019 से फीडस्टॉक के रूप में गैस का उपयोग करके यूरिया का उत्पादन शुरू किया है।

84. **नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012** : की घोषणा, यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुसाध्य बनाने और यूरिया के क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए की गई थी। चम्बल उर्वरक और रसायन लिमिटेड (सीएफसीएल) ने गदपन, राजस्थान में ब्राउनफील्ड परियोजना की स्थापना की। सीएफसीएल-III का वाणिज्यिक उत्पादन 1 जनवरी, 2019 को आरंभ हुआ।

85. उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी जारी की जाती है। किसानों/क्रेताओं को सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा दुकान पर संस्थापित प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण (पीओएस) के जरिए की जाती है और लाभार्थियों को आधार कार्ड, केसीसी, मतदान पहचान पत्र आदि के द्वारा पहचाना जाता है। सभी राज्यों में **2.26 लाख** पीओएस उपकरण लगाए गए हैं। दिसंबर, 2019 तक डीबीटी स्कीम के तहत पीओएस उपकरण के माध्यम से कुल **1182.04 लाख मीट्रिक टन** उर्वरक की बिक्री की गई है।

86. नीति आयोग ने, डीबीटी के प्रायोगिक जिलों में स्वतंत्र रूप से चार व्यापक मूल्यांकन किया है। अध्ययन में पाई गई मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन ने उर्वरक वितरण को दुरुस्त किया है। नीम कोटिंग की वजह से सभी जिलों में खुदरा विक्रेताओं और किसानों ने यूरिया की "शून्य कमी" (कमी न होने) की सूचना दी।

- (ii) एमएफएमएस आईडी के जरिए पड़ताल करने में सुधार आया है अर्थात् उर्वरक कंपनियों ने पड़ताल न कर पाने लायक खुदरा विक्रेताओं और सहकारी डिपो को एमएफएमएस प्रणाली पर डाल दिया है जिससे कि सब्सिडी के भुगतानों में विलंब से बचा जा सके।
- (iii) खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत लिया जाना कम हो गया है क्योंकि किसानों द्वारा खरीदा गया प्रत्येक उर्वरक के साथ पीओएस मशीनों के द्वारा दी गई रसीद होती है जिसमें किसानों द्वारा अदा किया गया अधिकतम खुदरा मूल्य और किसानों द्वारा खरीदी गई उर्वरक की मात्रा पर सरकार द्वारा चुकाया गया सब्सिडी घटक दर्शाया जाता है।
- (iv) सीमा के पार बिक्री भी कम हुई है उदाहरणार्थ किशनगंज से सीमा पार नेपाल और बंगलादेश में बिक्री।
- (v) किसानों के बीच आधार पर आधारित प्रणाली की पसंद बढ़ रही है।
- (vi) यूरिया की बोरी का आकार कम करने और खुदरा विक्रेताओं की लाभ की गुंजाइश की बढ़ोतरी जैसे पहलों का सकारात्मक प्रभाव हो रहा है।
- (vii) 76.5 प्रतिशत किसान यह जानते हैं कि यूरिया नीम निचोड़न कोटिंग (एक्सट्रेक्ट कोटिंग) से आता है।
- (viii) 94.9 प्रतिशत किसान समझते हैं कि नीम कोटिंग (परत चढ़ी) यूरिया फसलों के लिए लाभकारी होता है।
- (ix) किसान उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पसंद करते हैं क्योंकि इससे वास्तविक क्रेता का पता चलता है, काला बाजारी और विचलन इससे कम होता है, खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत मांगना कम होता है, और यह उर्वरक की मात्रा एवं कीमत के बारे में उन्हें जागरूक बनाता है।
87. उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के परिणाम हैं:-
- (i) अंत बिन्दु/खुदरा के स्थान पर लेन देन का दिखाई देना, (ii) मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ उर्वरक की आवा-जाही का पारदर्शी होना और तेजी से पता लगाना; (iii) डीबीटी के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड को जोड़ने के कारण पोषक तत्वों का इष्टतम उपयोग। इसके अतिरिक्त यह आशा की जाती है कि 2.26 लाख खुदरा बिक्री केन्द्रों में पीओएस उपकरण लगाने से एक चैनल बनेगा, जो ग्रामीण भारत तक पहुंचने में सरकार के लिए असीमित अवसर प्रदान करेगा। लेनदेन को डिजिटल लेनदेन करने से किसानों के खरीद का इतिहास (रिकार्ड) बनेगा, जिसका उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर लेनदेन के इतिहास के आधार पर किसानों को ऋण मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
88. अधिकतम बिक्री के मौसम की समस्या का समाधान करने के लिए एक ही खुदरा विक्रेता खुदरा बिक्री की दुकान पर एक से अधिक पीओएस संस्थापित कर सकता है। डीबीटी प्रणाली के तहत एक ही खुदरा बिक्री केन्द्र पर 10 पीओएस उपकरण तक का उपयोग करने का प्रावधान है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न प्रचालनात्मक चुनौतियों से निजात पाने के लिए उर्वरक विभाग ने निम्नानुसार विभिन्न विकल्प दिये हैं:
- (i) पीओएस उपकरण को कनेक्टिविटी के अनेक विकल्प दिए गए हैं जैसाकि वाई-फाई, एलएएन, पीएसटीएन, एसआईएम आदि।
- (ii) खुदरा दुकानों पर नेटवर्क सर्वेक्षण/आकलन किया जा सकता है जिससे कि उस क्षेत्र में अच्छी कनेक्टिविटी वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की पहचान की जा सके।
- (iii) सरल उपाय जैसाकि पीओएस उपकरण के साथ एनटिना जोड़ना, बेहतर सिग्नल दे सकता है।
89. उर्वरक डीबीटी के लिए शिकायत निवारण तंत्र:-
- (i) डीबीटी के क्रियान्वयन की तैयारी के रूप में देशभर में विभिन्न श्रेणी के हितधारकों के पूछताछ का तुरन्त उत्तर देने के लिए एक समर्पित 15 सदस्यीय बहु-भाषी हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। हेल्पडेस्क शनिवार सहित सभी कार्य दिवसों में 9.30 पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक कार्य करेगा। हेल्पडेस्क का टोलफ्री नम्बर 1800115501 है। इसके अतिरिक्त विभिन्न हितधारकों की शिकायतों का तुरन्त निवारण करने के लिए बड़े पैमाने पर व्हाट्स-अप का उपयोग किया जा रहा है।
- (ii) पीओएस के अच्छी तरह कार्य न करने की समस्या का समाधान करने के लिए पीओएस विक्रेताओं द्वारा अलग से टोलफ्री लाइनें दी गई हैं, अर्थात् विजनटेक, एनालॉजिक्स और ओएसिस। सभी राज्यों में पीओएस विक्रेताओं द्वारा समर्पित जनशक्ति/वेंडर सपोर्ट सिस्टम प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, डीबीटी के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उर्वरक विभाग द्वारा डीबीटी राज्य समन्वयनकर्ताओं की नियुक्ति की गई है।
90. 10 जुलाई, 2019 को डीबीटी 2.0 पहलों का आरंभ:- डीबीटी प्रणाली के संतोषजनक कार्य करने से विभाग, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास करते आ रहा है। डीबीटी 2.0 की कुछ नई पहलें निम्नानुसार हैं:-
- (i) डीबीटी डैशबोर्ड्स - राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न उर्वरकों की आपूर्ति/उपलब्धता/आवश्यकता की स्थिति के बारे में सटीक सूचना मुहैया कराने के लिए उर्वरक विभाग

ने विभिन्न डैश बोर्ड विकसित किए हैं, जिसे उर्वरक विभाग की ई-उर्वरक वेबसाइट (www.urvarak.nic.in) पर क्लिक करके आम जनता द्वारा देखा जा सकता है। ये डैशबोर्ड विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें प्रदान करते हैं, अर्थात्

- पत्तनों, संयंत्रों, राज्यों में जिला स्तरों पर उर्वरक स्टॉक (भण्डार) की स्थिति (समग्र और उत्पागन)।
- मौसम के लिए समानुपातिक आवश्यकता और विभिन्न स्तरों पर स्टॉक की उपलब्धता।
- शीर्ष 20 क्रेता
- बारंबार क्रेता
- उर्वरक नहीं बेचने वाले खुदरा विक्रेता।

यह उर्वरक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और रिपोर्टों से समग्र मांग और आपूर्ति का आकलन करने में सहायता मिलेगी, इससे दिन प्रतिदिन का निर्णय लेना सुसाध्य होगा और मांग की तुलना में उर्वरक की खपत को दुरुस्त करने में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना आसान होगा। इन रिपोर्टों से राज्य के भीतर उर्वरकों की उपलब्धता एवं बिक्री की वास्तविक निगरानी सुसाध्य होगी।

- (ii) **पीओएस 3.0 सॉफ्टवेयर:** डीबीटी के तहत, देश भर में खुदरा दुकानों पर लगाए गए पीओएस उपकरणों के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री होती है। अब तक पीओएस प्रचालन को सुधारने की प्रक्रिया में पीओएस के 14 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। सबसे अद्यतन पीओएस 3.0 संस्करण है, जिसमें नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं, जैसाकि (i) उपयोग के समय आधार आभासी आईडी विकल्प, डीबीटी सॉफ्टवेयर में लॉग इन और बिक्री के क्रियाकलाप, (ii) बहु-भाषी सुविधा, (iii) बहुभाषी सुविधा और (iv) मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) की सिफारिश का प्रावधान: क्षेत्र विशिष्ट, फसल विशिष्ट सिफारिशें।
- (iii) **डेस्कटॉप पीओएस संस्करण:** विभिन्न प्रचालनात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अर्थात् सीमित पीओएस विक्रेता, व्यस्त मौसम के कारण बिक्री में व्यस्तता आदि की वजह से विभाग ने पीओएस उपकरणों के विकल्प या अतिरिक्त सुविधा के रूप में पीओएस साफ्टवेयर का डेस्कटॉप संस्करण विकसित किया है। लैपटॉप और कम्प्यूटर सिस्टम वाले खुदरा विक्रेता उर्वरक की बिक्री के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा का उपयोग कर सकते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अधिक मजबूत और सुरक्षित है क्योंकि उर्वरक विभाग में केन्द्रीय मुख्यालय टीम से एप्लीकेशन विकसित किया जाता और सीधे संचालन किया जाता है। डेस्कटॉप पीओएस संस्करण पीओसी उपकरणों और सीमित विक्रेताओं पर निर्भरता कम करता है।

91. **खाद्य सब्सिडी :** खाद्य सब्सिडी, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और एनएफएसए तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर उनकी बिक्री के मुनाफे के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए दी जाती है। खाद्य सब्सिडी जारी करने को युक्तिसंगत बनाने के लिए खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, बोरा की लागत और लेखापरीक्षित लेखाएं समय पर प्रस्तुत न करने वाले राज्यों के लिए सांविधिक प्रभारों को छोड़कर खरीद की प्रासंगिक वस्तुओं के सूचीयन के लाभ सीमित करने के लिए खरीद की प्रासंगिक वस्तुओं के सिद्धांतों में संशोधन किया गया है। राज्य सरकारों को समय पर लेखापरीक्षित लेखाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा सके और बजटीय आवंटन के लिए सब्सिडी की वास्तविक राशि के सनिकट राशि का अनुमान लगाया जा सके। विभाग ने अन्न वितरण पोर्टल से खाद्यान्न वितरण आंकड़े उठाना आरंभ किया है, जो ऑन लाइन अद्यतन वितरण के आंकड़ों का संग्रहण करता है। विभाग ने, राज्य के सब्सिडी दावे पर कार्रवाई करने के पहले नियमित आधार पर पीएफएमएस के जरिए सब्सिडी उपयोग की निगरानी भी शुरू की है।

92. चूंकि भारतीय खाद्य निगम की तुलना में राज्यों द्वारा खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली में खरीद और वितरण की आर्थिक लागत कम होती है, विभाग राज्यों से इस प्रणाली को अपनाने का अनुरोध कर रहा है। राज्यों द्वारा किए गए दावों के संबंध में खरीद की प्रासंगिक वस्तुओं की कम प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं पर विचार करते हुए विभिन्न खरीद की प्रासंगिक वस्तुओं के सिद्धांतों में संशोधन करने के लिए 3 उप-समितियों का गठन किया गया था। उप-समितियों ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं, जिनकी विभाग में जांच की जा रही है। परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की नीति में संशोधन किया गया है और नई नीति अधिसूचित की गई है।

93. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रिसाव और विचलन को नियंत्रित करने के लिए सुधार के उपायों के रूप में खाद्य सब्सिडी स्कीम के नकद अंतरण को 3 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 9.33 लाख पात्र लाभार्थी लगभग ₹14.64 करोड़ तक नकद सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं।

94. **पीडीएस केरोसीन - जुलाई, 2016 से 1 जनवरी, 2020 तक** पीडीएस केरोसीन के आरएसपी (राज्य करें/जीएसटी और अन्य तत्वों को छोड़कर) में कुल वृद्धि ₹18.48/लीटर हुई है। आरएसपी में उपर्युक्त वृद्धि के कारण दिसंबर, 2019 तक कुल ₹11,597 करोड़ होने का

अनुमान है। 1 जनवरी, 2020 से लागू वर्तमान मूल्य के आधार पर इस समय ओएमसी को पीडीएस केरोसीन पर (मुंबई में) प्रति लीटर ₹5.08 की कम वसूली हो रही है।

95. **घरेलू एलपीजी** - पहल स्कीम के तहत एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री सब्सिडी-भिन्न मूल्य पर की जा रही है और यथा अनुमेय सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता को उसके बैंक खाते में अंतरित किया जा रहा है। 24.01.2020 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के साथ 26.05 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता जुड़ गए हैं। इस स्कीम का लक्ष्य सब्सिडी समाप्त करना नहीं है बल्कि इसके रिसाव को रोककर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना है।

अवसंरचना संबंधी नीति

96. अवसंरचना अत्यधिक लागत और बहिर्मुखता की उसकी विशेषता के कारण मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित की जाती है। विश्वभर में सरकारी और निजी क्षेत्र के अवसंरचना संबंधी निवेश के बीच दो तिहाई और एक तिहाई का अंतर होता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि (2008-12) में, कुल अवसंरचना संबंधी निवेश के अनुपात के रूप में अवसंरचना पर निजी क्षेत्र का निवेश एक-तिहाई के स्तर से अधिक हो जाने का अनुमान है तथा यह अनुपात हाल के वर्षों में कम हो गया है। भारत में सरकारी और निजी निवेश में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i) अवसंरचना निवेश न्यास तथा स्थावर संपदा निवेश न्यास जैसी अवसंरचना वित्त पोषण की कई नवीन पद्धतियां तैयार की गईं और शुरू की गईं हैं। वित्तपोषण की नई पद्धतियों के परिणामस्वरूप, पांच अवसंरचना निवेश न्यास और एक स्थावर संपदा निवेश न्यास का आरंभ किया गया। अवसंरचना वित्तपोषण के मुख्य स्रोतों में से एक बैंक वित्त पोषण है जो परिसंपत्ति देनदारियों से जुड़ा रहा है क्योंकि बैंक की देनदारियां अल्पावधिक होती हैं लेकिन अवसंरचना परिसंपत्तियां दीर्घावधिक होती हैं। इससे विभिन्न मुद्दे उभरकर आते हैं, जिनमें बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियों का मुद्दा शामिल है। अवसंरचना में संस्थागत निवेशकों (पेंशन, बीमा तथा सॉवरन स्वास्थ्य निधि इत्यादि) को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें परिसंपत्ति-देनदारियों की बेमेलता की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अवसंरचना निवेश न्यास और स्थावर संपदा निवेश न्यास ऐसे साधन हैं जो संस्थागत निवेशकों को न्यास संरचना से युक्त पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देते हैं। इनमें कर छूट का लाभ भी मिलता है।

ii) बजट भाषण 2019-20 और 2016-17 में की गई घोषणा के अनुसार अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी किए गए बांडों की

क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर अवसंरचना परियोजनाओं में अधिक क्रेडिट मुहैया कराने के लिए क्रेडिट वर्धन (सीई) कंपनी की स्थापना करना। यह प्रस्ताव अनुमोदन के अंतिम चरण में है।

लाभ: अवसंरचना वित्त पोषण का पारंपरिक स्रोत बैंक वित्त पोषण है जो परिसंपत्ति-देनदारी की विसंगतियों का सामना करता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों में एनपीए जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। अवसंरचना का बांड द्वारा वित्तपोषण करना बेहतर है। प्रस्तावित सीई कंपनी अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों की रेटिंग बढ़ाएगी जिससे संस्थागत निवेशकों (एएलएम मुद्दे के बिना) से निवेश आना सुविधाजनक होगा।

iii) **अवसंरचना में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी):** अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी-निजी भागीदारी का सहारा लेने से उन क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बहुमूल्य राजकोषीय गुंजाइश बनेगी जहां इस प्रकार का वित्तपोषण उपलब्ध नहीं होता है। पीपीपी परियोजनाएं राजमार्ग, हवाईअड्डों, बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। सड़क और पत्तन क्षेत्रों के लिए आदर्श रियायत करार (एमसीए) भी तैयार किए गए हैं।

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति: पीपीपी परियोजनाएं दीर्घावधिक परियोजनाएं होती हैं तथा अच्छी पीपीपी परियोजना में उचित जोखिम आवंटन रहता है। भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की स्थापना करके मूल्यांकन तंत्र को अधिसूचित किया है। परियोजनाओं का शीघ्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने, विलंब को समाप्त करने, बेहतर अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों को अपनाने तथा जोखिम आबंटन सहित मूल्यांकन तंत्र और दिशानिर्देशों में एकरूपता लाने के लिए पीपीपी परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन तंत्र को आसान किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों पर विचार करने और अनुमोदन देने हेतु आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पीपीपीएसी गठित की गई है, जिसमें व्यय विभाग, विधायी कार्य विभाग, प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा नीति आयोग के सीईओ सदस्य के रूप में शामिल हैं।

उपलब्धि: वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पीपीपीएसी ने ₹87,728 करोड़ की कुल परियोजना लागत की 56 परियोजनाओं की सिफारिश की है। इन 56 परियोजनाओं में से 43 परियोजनाएं सड़क क्षेत्र, 3 परियोजनाएं पत्तन क्षेत्र, 8 परियोजनाएं हवाई अड्डा क्षेत्र तथा एक-एक परियोजना आवास और पर्यटन क्षेत्र की हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष

2019-20 के दौरान अब तक, पीपीपीएसी ने ₹27,514 करोड़ की कुल परियोजना लागत से 8 परियोजनाओं की सिफारिश की है। इन 8 परियोजनाओं में से 2 इको-पर्यटन, 1 पत्तन क्षेत्र, 4 रेलवे स्टेशनों और 1 पैसेंजर रेलगाड़ी से संबंधित परियोजनाएं हैं।

लाभ: पीपीपी के जरिए अवसंरचना के विकास से आर्थिक वृद्धि और विकास में मदद मिलती है, रोजगार का सृजन होता है, निजी क्षेत्र को भागीदारी करने के अवसर प्राप्त होते हैं तथा जीवन स्तर में सुधार होता है। संसाधन वृद्धि तथा कार्यक्षमता सुधारों के संदर्भ में ये लाभ हैं।

iv) **अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण):** अवसंरचना परियोजनाएं उच्च परियोजना लागत, सुदीर्घ निर्माण अवधि तथा प्रतिलाभ प्राप्त होने में दशकों का समय लगना इत्यादि के कारण वाणिज्यिक रूप से अक्सर व्यवहार्य नहीं होती हैं। तथापि, ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। तदनुसार, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ स्कीम) इन परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से पीपीपी के माध्यम से चलाई जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं को एक बारगी अथवा आस्थगित रूप से पूंजी अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार की गई थी। इस स्कीम में कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के 20 प्रतिशत तक व्यवहार्य अंतर वित्तपोषण का प्रावधान है। सरकार अथवा सांघिक प्रतिष्ठान, जिसके अधीन परियोजना आती है, यदि चाहे तो टीपीसी के 20 प्रतिशत तक अपने बजट में से अतिरिक्त अनुदान दे सकती है।

उपलब्धि: वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वीजीएफ स्कीम के तहत ₹19,952 करोड़ टीपीसी की 48 परियोजनाओं को 'सिद्धांततः' अनुमोदन दिया गया तथा ₹6,136 करोड़ टीपीसी की 21 परियोजनाओं को 'अंतिम अनुमोदन' दिया गया। पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान कुल ₹2,908 करोड़ का वीजीएफ संवितरित किया गया। **लाभ:** वीजीएफ स्कीम से अवसंरचना निवेश बढ़ाने में मदद मिली है। जो परियोजनाएं वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होती थीं, उन्हें भी इस स्कीम का उपयोग करते हुए शुरू किया जा सकता है। पूंजी अनुदान से भी इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है, इस प्रकार अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता सुविधाजनक हो जाती है।

v) वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के

लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा 31.12.2019 को एनआईपी पर कार्यबल की संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की गई थी। इनआईपी के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि में ₹100 लाख करोड़ से अधिक के अवसंरचना निवेश की योजना बनाई गई है। यह निवेश सरकारी और निजी क्षेत्रों से आने की आशा है।

लाभ: सुनियोजित एनआईपी से अनेक अवसंरचना परियोजनाएं आंगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा तथा विकास को अधिक समावेशी करते हुए सभी के लिए अवसंरचना हेतु साम्यपूर्ण सुलभता प्राप्त होगी। इससे वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने में भी मदद मिलेगी।

सरकारी उधारी, उधार देना और निवेश:

97. सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में आवर्ती जोखिम न्यूनतम बना हुआ है क्योंकि बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों⁵ की भारत औसत परिपक्वता 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 10.40 वर्ष के आस पास बनी हुई है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में अल्पावधिक ऋण का हिस्सा लगभग 4.3 प्रतिशत है तथा अगले 5 वर्षों में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां कुल बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के 28.3 प्रतिशत के आस पास हैं, जो अल्पावधि में आवर्ती जोखिमों को लघु स्तर पर रखती हैं। वर्ष 2019-20⁶ के दौरान प्राथमिक निर्गम की भारत औसत परिपक्वता 10.54 वर्ष के उच्च स्तर पर बनी हुई है जो पिछले वर्ष के 14.73 वर्ष के स्तर से अधिक है। वर्ष 2019-20 की इसी अवधि के दौरान निर्गमित दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत आय 2018-19 के दौरान 7.7 प्रतिशत की तुलना में 6.86 प्रतिशत के स्तर पर है, जो उच्चतर आय माहौल को दर्शाता है।

98. जीएफडी के वित्तपोषण के लिए राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से निवल उधारों को 2019-20 में ₹25,000 करोड़ के स्तर पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य भविष्य निधि तथा सरकारी खाते से अन्य प्राप्तियों से राजकोषीय घाटे के शेष हिस्से का वित्तपोषण किया जाएगा।

99. देश की ऋण की रूपरेखा की एक प्रमुख विशेषता कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण का कम अनुपात होना है जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार की कुल देनदारियों का 5.9 प्रतिशत है। विदेशी उधार विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जेआईसीए, आईएडीए, आईएफसी आदि जैसी चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों से बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋण लेने तक सीमित हैं और इस प्रकार, पूंजी प्रवाहों के विपर्यय के लिए प्रयुक्त

5. जिनमें विशिष्ट प्रतिभूतियां, एफआरबी और आईआईबी शामिल हैं।

6. 26 दिसंबर, 2019 तक

नहीं किया जाता है। मार्चांत, 2019 में बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त उधार विदेशी ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा (67.5 प्रतिशत) है, जो मुख्यतः रियायती शर्तों पर लिया जाता है।


100. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए एक अधिक संभाव्य प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2015 में सरकार के परामर्श से सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा के लिए मध्यावधिक फ्रेमवर्क (एमटीएफ) तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क में 27 मार्च 2019 को व्यापक संशोधन किया गया और 2019-20 में सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा को सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत के स्तर पर रखा गया। दो उपश्रेणियों - 'साधारण' और 'दीर्घावधि' में सरकारी प्रतिभूति में वृद्धि के आवंटन को 2019-20 के लिए 50:50 रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में अधिक विविधता आने का अनुमान है।

101. केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा एफआरबीएम अधिनियम, 2018 में स्पष्ट रूप से दी गई है। भारत की समेकित निधि की तुलना में कुल बकाया देनदारियों को शामिल करने के अलावा इसमें भारत के सरकारी खाते और केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रण वाले किसी निकाय कारपोरेट अथवा अन्य प्रतिष्ठान की वित्तीय देनदारियां, जिन्हें अंतिम तिथि को उपलब्ध रोकड़ बकाया से घटाकर वार्षिक

वित्तीय विवरण से सरकार द्वारा वापसी अदायगी अथवा शोधन करना है, के तहत सभी देनदारियां भी शामिल हैं। विदेशी ऋण, जो भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर एक देनदारी है, को चालू विनियम दरों पर आकलित किया जाता है।

102. केंद्र सरकार के ऋण का सटीक प्रस्तुतीकरण ऋण प्रबंधन और नियंत्रण का आरंभिक बिंदु है। साथ ही, यह सरकारी उधारों के भाग के रूप में सभी सीपीएसई/स्वायत्त निकायों की सभी देनदारियों के समावेशन के लिए अपरिहार्य नहीं है क्योंकि ऐसे निकाय कारपोरेटों के अधिकांश उधार उनकी दैनिक व्यवसायिक गतिविधियों के प्रयोजनार्थ लिए जाते हैं। सरकार ने उन उधारों को चिह्नित किया है जिन्हें केंद्र सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ लिया जाता है। ऐसे उधार जिन्हें बजट बाह्य और अन्य संसाधन (भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से शोधित बांड और एनएसएसएफ ऋण) कहा जाता है, को केंद्र सरकार के ऋण के परिकलन में शामिल किया जा रहा है। ऐसे उधारों का ब्यौरा व्यय की रूपरेखा में विवरण-27 के रूप में दिया गया है।

103. वर्ष 2004 से केंद्र सरकार का ऋण 2004-05 में जीडीपी के 66.7 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 (अंतिम) में 48.7 प्रतिशत रह गया है। नीचे दिए गए ग्राफ में 2004-05 से केंद्र सरकार का ऋण⁷ दर्शाया गया है।



7. वर्ष 2018-19 के बाद केंद्र सरकार का ऋण 2018-19 से एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के विवरण .2 (कक) के अनुसार है।

आकस्मिक और अन्य देनदारीयां:

104. संविधान के अनुच्छेद 292 के संदर्भ में, केंद्र सरकार भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति के आधार पर उधारों की वापसी अदायगी की गारंटी देती है। एफआरबीएम अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को अधिदेश दिया गया है कि वह गारंटियों के रूप में आकस्मिक देनदारियों के उत्तरदायित्व के लिए वार्षिक लक्ष्य विनिर्दिष्ट करे। तदनुसार, एफआरबीएम नियमावली में वृद्धिशील गारंटियों के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। जिसका सरकार किसी विशेष वित्त वर्ष में उत्तरदायित्व लेगी। केंद्र सरकार मुख्यतः महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक लाभ के उद्देश्य से सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं अथवा गतिविधियों की व्यवहार्यता के सुधार के प्रयोजनार्थ उधारों की लागत कम करने के साथ-साथ जहां द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के लिए सॉवरेन गारंटी एक पूर्व शर्त है, उन मामलों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए गारंटी देती है। चूंकि सांविधिक कारपोरेशन, सरकारी कंपनियां, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट विधिक प्रतिष्ठान हैं, इसलिए ये अपने ऋणों के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी वित्तीय बाध्यताओं को गारंटी देने की प्रक्रिया में सरकार ऐसी बाध्यताओं की पूर्णता का निर्धारण करने और पर्याप्त रूप से उनके प्रकटन के प्रति वचनबद्ध है।

105. आकस्मिक देनदारियों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार की वित्तीय नियमावली, 2017 और सरकार की गारंटी नीति में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं जिनका सॉवरेन गारंटी के रूप में नई आकस्मिक देनदारियों का उत्तरदायित्व लेने से पहले पालन किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि इन गारंटियों का सरकार पर जोखिम होता है, इसलिए प्रस्तावों की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लिए जाने वाले ऋण के तरीकों से जांच की जाती है।

नीति में प्रतिपादित सिद्धांत इन आकस्मिक देनदारियों का उत्तरदायित्व लेते समय सॉवरेन के जोखिम को कम करने हेतु प्रेमवर्क तैयार करते हैं। इन सिद्धांतों में भावी भुगतानों की संभावना, गतिविधि की प्राथमिकता, चुनिंदा क्षेत्रों में उद्भासन को सीमित करने के लिए गारंटी पर संस्थागत सीमाएं तथा बजटीय सहायता अथवा सुविधा के अन्य रूपों की तुलना में गारंटी की आवश्यकता की समीक्षा करने सहित जोखिम निर्धारण शामिल हैं।

106. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देनदारियों का स्टॉक संपूर्ण संदर्भ में बढ़कर 2004-05 में ₹1,07,957 करोड़ के स्तर से बढ़कर 2018-19 में ₹4,47,626.36 करोड़ के स्तर पर पहुंच

गया। वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उत्तरदायित्व लिए जाने वाली गारंटियों पर एफआरबीएम की उच्चतम सीमा घटकर आकस्मिक देयता और जीडीपी के अनुपात पर आ गई। 2004-05 में यह अनुपात 3.3 प्रतिशत था जो अब घटकर 2018-19 में 2.35 प्रतिशत पर आ गया है। एफआरबीएम नियमावली, 2004 में यथानिर्धारित बकाया गारंटी संबंधी प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट (भाग ख का 1(iii)) में संलग्न है। वर्ष 2018-19 के दौरान गारंटियों के स्टॉक में सकल अनुवृद्धि ₹66,811 करोड़ थी जो जीडीपी का 0.4 प्रतिशत है और एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत 0.5 प्रतिशत की सीमा में हैं।

आगामी वर्ष के लिए कार्यनीतिक प्राथमिकताएं:

107. व्यय के संबंध में आगामी वर्ष में सरकार का मुख्य फोकस पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन बढ़ाना है। स्वच्छता और जल संरक्षण केंद्र बिंदु बने रहेंगे। प्राप्ति पक्ष में, कार्यनीतिक परिसंपत्तियों को बेचकर संसाधन जुटाए जाएंगे।

अधिनियम की धारा 4(5) के प्रावधानों के अनुसार विचलन के कारणों के स्पष्टीकरण तथा वार्षिक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के पथ का विवरण

108. वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बजटीय लक्ष्य की तुलना में जीडीपी का 3.8 प्रतिशत पुनःअंशांकित किया गया। यह विचलन सरकार द्वारा लिए गए कारपोरेशन कर में कटौती जैसे संरचनात्मक सुधारों के कारण आवश्यक था। यह राजकोषीय विस्तार एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अंतर्गत है। सुधारों के व्यापक प्रभाव के कारण 2020-21 से जीडीपी के 3 प्रतिशत के लक्ष्य में इसी प्रकार का विचलन रहने की प्रत्याशा है।

109. यह आशा की जाती है कि सरकार मध्यावधिक संदर्भ में राजकोषीय समेकन के रास्ते पर लौट आएगी। राजकोषीय घाटे का मध्यावधिक अनुमान पृष्ठ क्रं.1 की सारणी में शामिल किया गया है।

110. राजकोषीय घाटे को संशोधित अनुमान 2019-20 में जीडीपी के 3.8 प्रतिशत और 2020-21 में 3.5 प्रतिशत के स्तरों पर रखा गया है। भारत जैसे देश की जीवंत अर्थव्यवस्था शायद ही अपनी विकास की गति धीमी पड़ने देगी। साथ ही, सरकार घाटे को वहनीय स्तरों पर बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध ताकि राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत साम्यता सुनिश्चित की जा सके।